**<u>न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस प्रकरण, नाथद्वारा (राज.)</u>**
**<u>(अपर सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा)</u>**
**पीठासीन अधिकारी: पुरुषोत्तम लाल सैनी, आरजेएस**
**{जिला न्यायाधीश संवर्ग}**

**एन.डी.पी.एस. प्रकरण संख्या: 05/2019**
**(CIS No. : 05/2019)**
**(CNR No. : RJRS060004112019)**
**प्र.सू.रि. संख्या : 115/2019 पुलिस थाना नाथद्वारा**

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक

**-- अभियोगी**

**विरूद्ध**

प्रहलाद पुत्र बक्षु दत्तक पुत्र खेमा उम्र 45 वर्ष निवासी जावड की ढाणी थाना घासा जिला उदयपुर (राज.)

**--अभियुक्त**

**<u>अपराध धारा 8/18, 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट</u>**

**उपस्थित:-**
1. श्री लोकेश कुमार माली - विद्वान् अपर लोक अभियोजक
2. श्री दीपक पालीवाल व श्री दुर्गेश प्रजापत - विद्वान् अधिवक्तागण अभियुक्त

**- <u>निर्णय</u> -**

**दिनांक : 12.03.2026**

1. यह आरोप पत्र थानाधिकारी, पुलिस थाना, नाथद्वारा की ओर से इस न्यायालय में अभियुक्त प्रहलाद के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 व 8/25 स्वापक औषधि एवं मन्:प्रभावी अधिनियम, 1985 (जिसे आगे चलकर ''अधिनियम, 1985'' से सम्बोधित किया जावेगा) के तहत पेश किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 13.03.2019 को पुलिस थाना, नाथद्वारा के थानाधिकारी जितेन्द्र कुमार आंचलिया, पु.नि. ने एक पर्चा कायमी इस आशय का कायम किया कि आज दिनांक को मन् एसएचओ मय जाब्ता सउनि रविन्द्रसिंह, एचसी अशोक कुमार नं.106 एवं एचसी देवेन्द्रसिंह नं.450, कांनि. नरेन्द्र कुमार 920, कांनि. इन्द्रचन्द 363 के वास्ते नाकाबंदी हेतु मय अनुसंधान सामग्री साथ ले मय जीप सरकारी मय चालक शंकरसिंह 528 के थाने से समय 4.24 पीएम पर रवाना हो त्रिनेत्र तिराहा नाथद्वारा समय 4.40 पीएम पर पहुंच हाईवे पर नाकाबंदी व वाहन चैकिंग प्रारम्भ की। दौराने नाकाबंदी वक्त 5.15 पीएम पर एक मोटरसाइकिल नंबर आर.जे.27 एस.वाई. 4825 उपली ओडन की तरफ से आती दिखी जिसके चालक ने

हेलमेट नहीं लगा रखा था नजदीक आने पर जाब्ता पुलिस देख मोटरसाइकिल को टर्न कर भागने लगा जिस पर उसने पीछा कर उक्त व्यक्ति को मोटरसाइकिल को डिटेन किया। शंका होने पर उसके द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रहलाद रेबारी होना बताया। जिसकी मौके पर जामा तलाशी ली गई तो उसकी पेंट की जेब से एक मोबाईल नोकिया कम्पनी का व 150 रुपये रोकड मिले और कोई चीज नहीं मिली। मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो टंकी के उपर लगी रैग्जीन की जेब से एक प्लास्टिक की थैली में काले रंग का द्रव्य भरा हुआ मिला जिसके बारे में पूछने पर प्रहलाद ने अफीम होना बताया। जिसे अफीम अपने कब्जे में रखने बाबत् वैध कागजात के बारे में पुछा तो उसने नहीं होना बताया। उक्त अवैध अफीम को जब्त कर एनडीपीएसएक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने में स्वतंत्र मौतबिरान की आवश्यकता होने से तलबी की गई तो राह जाते एक व्यक्ति हरीश कुमार ने मौतबिर बनने की सहमति दी तथा और कोई स्वतंत्र मौतबिर उपस्थित नहीं होने से जाब्ता पुलिस से इन्द्रचन्द कांनि.363 को मौतबिर मामूर किये जाकर उक्त दोनों से सहमति प्राप्त की गई। मौतबिरान के समक्ष प्रहलाद के कब्जे में पाई गई उक्त अवैध अफीम की पौलिथिन की थैली का मुंह खोल सुंघा, चखा व अनुभव किया तो उक्त थैली से भरा काले रंग का द्रव्य पदार्थ अफीम होना पाया गया जिसका मौके पर इलेक्ट्रोनिक कांटे से सउनि रविन्द्रसिंह द्वारा वजन किया तो थैली सहित 90 ग्राम होना पाया गया जिसमें से 15-15 ग्राम नमूना सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल एक-एक प्लास्टिक की डिब्बी में निकाल सफेद कपड़े की थैली में रख सीलचिट कर क्रमशः मार्क-अ व मार्क-ब अंकित किये। शेष बची अवैध अफीम को प्लास्टिक की थैली सहित एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख सीलचिट बंद कर मार्क-स दिया गया। अभियुक्त की जेब से मिले एक मोबाईल नोकिया कम्पनी का मॉडल नंबर 130 व 150 रुपये एक सफेद कपड़े की थैली में रख सीलचिट बंद कर मार्क-द दिया गया। मौके पर ही मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। प्रहलाद द्वारा अवैध अफीम अपने कब्जे में रख परिवहन करने से गिरफ्तार किया.....इत्यादि।

3. उक्त पर्चा कायमी के आधार पर पुलिस थाना नाथद्वारा पर प्रकरण संख्या 115/2019 अंतर्गत धारा 8/18 "अधिनियम, 1985" में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त प्रहलाद के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 व 8/25 स्वापक औषधि एवं मन्:प्रभावी अधिनियम, 1985 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर दिनांक 09.03.2021 को अभियुक्त प्रहलाद के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 व 8/25 "अधिनियम, 1985" का आरोप पृथक से

विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.-1 जितेन्द्र कुमार आंचलिया, पी.डब्ल्यू.-2 हरीश कुमार, पी.डब्ल्यू.-3 इन्द्रचन्द, पी.डब्ल्यू.-4 रविन्द्रसिंह, पी.डब्ल्यू.-5 विक्रमसिंह, पी.डब्ल्यू.-6 अशोक कुमार, पी.डब्ल्यू.-7 नरेन्द्र कुमार, पी.डब्ल्यू.-8 देवेन्द्र, पी.डब्ल्यू.-9 दशरथसिंह, पी.डब्ल्यू.-10 राजेश, पी.डब्ल्यू.-11 शिवदर्शन, पी.डब्ल्यू.-12 राजेन्द्र कुमार व पी.डब्ल्यू.-13 अमरसिंह को परीक्षित करवाये गये।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नांकित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गयेः-

| **क्र.सं.** | **प्रदर्श** | **प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण** |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी-1 | पर्चा कायमी |
| 2. | प्रदर्श पी-2 | चाक एफआईआर |
| 3. | प्रदर्श पी-3 | फर्द सहमति मौतबीर हरीश कुमार |
| 4. | प्रदर्श पी-4 | फर्द सहमति मौतबीर इन्द्रचन्द्र |
| 5. | प्रदर्श पी-5 | फर्द जब्ती अवैध मादक पदार्थ अफीम |
| 6. | प्रदर्श पी-6 | फर्द नमूना सील |
| 7. | प्रदर्श पी-7 | फर्द जब्ती मोटरसाइकिल |
| 8. | प्रदर्श पी-8 | नोटिस अन्तर्गत धारा 52 अधिनियम, 1985 |
| 9. | प्रदर्श पी-9 | फर्द गिरफ्तारी |
| 10. | प्रदर्श पी-10 | फर्द धारा 55 अधिनियम, 1985 |
| 11. | प्रदर्श पी-11 | पुलिस अधीक्षक राजसमन्द को प्रकरण की सूचना बाबत् जारी पत्र |
| 12. | प्रदर्श पी-12 | नक्शा मौका |
| 13. | प्रदर्श पी-13 | धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना |
| 14. | प्रदर्श पी-14 | फर्द तस्दीक घटनास्थल |
| 15. | प्रदर्श पी-15 | पुलिस थाना नाथद्वारा का अग्रेषण पत्र |
| 16. | प्रदर्श पी-16 | पुलिस अधीक्षक राजसमन्द का अग्रेषण पत्र |
| 17. | प्रदर्श पी-17 | प्राप्ति रसीद |
| 18. | प्रदर्श पी-18 | एफएसएल रिपोर्ट |
| 19. | प्रदर्श पी-19 | रोजनामचा आम |
| 20. | प्रदर्श पी-20 | रोजनामचा आम |
| 21. | प्रदर्श पी-21 | रोजनामचा आम |
| 22. | प्रदर्श पी-22 | रोजनामचा आम |
| 23. | प्रदर्श पी-23 | रोजनामचा आम |
| 24. | प्रदर्श पी-24 | जब्तशुदा मोटरसाइकिल के मालिक के नाम पते के संबंध में |

| | | |
|---|---|---|
| 25. | प्रदर्श पी-25 | जब्तशुदा वाहन की आर.सी. |
| 26. | प्रदर्श पी-26 | मालखाना रजिस्टर की नकल |
| 27. | प्रदर्श पी-27 | इन्वेंट्री कार्यवाही हेतु जारी पत्र |
| 28. | प्रदर्श पी-28 | इन्वेंट्री कार्यवाही हेतु अनुमति बाबत् जारी पत्र |
| 29. | प्रदर्श पी-29 | इन्वेंट्री कार्यवाही में खींचा गया फोटोग्राफ |
| 30. | प्रदर्श पी-30 | इन्वेंट्री कार्यवाही में खींचा गया फोटोग्राफ |
| 31. | प्रदर्श पी-31 | इन्वेंट्री कार्यवाही में खींचा गया फोटोग्राफ |
| 32. | प्रदर्श पी-32 | इन्वेंट्री कार्यवाही में खींचा गया फोटोग्राफ |
| 33. | प्रदर्श पी-33 | इन्वेंट्री कार्यवाही में खींचा गया फोटोग्राफ |
| 34. | प्रदर्श पी-34 | इन्वेंट्री रिपोर्ट |
| 35. | प्रदर्श पी-35 | इन्वेंट्री कार्यवाही हेतु थाने को जारी पत्र |
| 36. | प्रदर्श पी-36 | धारा 52 ए अधिनियम, 1985 की कार्यवाही की इन्वेंट्री रिपोर्ट प्रेषित करने बाबत् जारी पत्र |

7. अभियुक्त का परीक्षण धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किया गया, तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए निर्दोष होने का कथन किया। अभियुक्त की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई। बचाव पक्ष की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये-

| **क्र.सं.** | **प्रदर्श** | **प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण** |
|---|---|---|
| 1. | प्रदर्श डी-1 | फर्द जब्ती मोटरसाइकिल नंबर आरजे30 एसबी 9090 |
| 2. | प्रदर्श डी-2 | पुलिस बयान रविन्द्रसिंह |
| 3. | प्रदर्श डी-3 | पुलिस बयान नरेन्द्र |

8. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

9. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने दौराने बहस यह तर्क दिया है कि दिनांक 13.03.2019 को जितेन्द्र कुमार आंचलिया, थानाधिकारी पुलिस थाना नाथद्वारा ने मय जाप्ता के दौराने नाकाबंदी त्रिनेत्र तिराहा, नाथद्वारा समय 5.15 पीएम पर अभियुक्त प्रहलाद के सचेतन कब्जे की मोटरसाइकिल की तलाशी के दौरान टंकी के उपर लगी रैग्जीन की जेब से एक प्लास्टिक की थैली में अफीम बरामद की गयी जिसका वजन थैली सहित 90 ग्राम था। मौके पर नूमना व कन्ट्रोल सैम्पल निकाले गये तथा उक्त मोटरसाईकिल को जब्त किया गया। बरामदशुदा माल को सीलचिट अवस्था में एफएसएल भेजा गया जहां से बरामदशुदा मादक पदार्थ अफीम होना पाया गया है। उक्त मोटरसाईकिल अभियुक्त प्रहलाद के स्वामित्व की थी। अभियोजन ने अभियुक्त के विरूद्ध

आरोपित अपराध अभियोजन की सशपथ मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जावें।

10. विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि जब्ती अधिकारी द्वारा "अधिनियम, 1985" की धारा 42, 50 व 52 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ एफएसएल भेजने तक सीलचिट हालत में नहीं रहने से जब्ती प्रमाणित नहीं है। अभियोजन साक्षीगण के बयानों में भारी विरोधाभास है। अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रकरण में जप्ती अधिकारी द्वारा मौके पर जब्तशुदा अफीम का थैली रहित शुद्ध वजन नहीं लिया गया है। जब्ती अधिकारी द्वारा जब्ती की कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों के विपरीत जाकर धारा 52ए अधिनियम, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए स्वयं द्वारा मौके पर नमूना एवं कंट्रोल सैम्पल लिये गये हैं। प्रकरण में जो इन्वेन्ट्री की कार्यवाही की गयी है उसमें इन्वेन्ट्री करने वाले अधिकारी ने कोई नमूना सैम्पल नहीं लिया है और इन्वेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी-34 एवं फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5 में वर्णित वजन में भारी विरोधाभास है। जब्तशुदा पदार्थ से नमूने लेने की कार्यवाही केवल मजिस्ट्रेट के समक्ष और उनकी देखरेख में ही की जा सकती है जिसकी पालना हस्तगत प्रकरण में जब्ती अधिकारी द्वारा नहीं की गयी है। प्रकरण में जब्ती की कार्यवाही के दौरान हैड कांनि. अशोक कुमार की उपस्थिति मौके पर दर्शायी गई है परन्तु रोजनामचा रपट प्रदर्श पी-19 के अनुसार उसकी ड्यूटी थाने पर दर्शित हो रही है। पुलिस जाप्ते के साक्षी हितबद्ध साक्षी है, उनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है तथा उनकी साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है। लिहाजा अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावें। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न माननीय विनिर्णय प्रस्तुत किये जिनका मेरे द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया:-

(1) 2020(1) Cr.L.R. (Raj.) 1
Ladulal Gurjar v State of Rajasthan

(2) 2014(1) Cr.L.R. (Raj.) 2102
Nathu Lal & Anr. v State of Rajasthan

(3) 2023 LiveLaw (SC) 570
Simarnjit Singh v State of Punjab

(4) Cr.MP (M) No.1560/2024 State of himachal Pradesh v Mukhtyar Singh @ Banty, High Court of Himachal Pradesh, Shimla, Date of Decision 29.11.2024

(5) S.B. Criminal Appeal No.369/2014 Ratan Lal v State of Rajasthan, High Court of Rajasthan, Jodhpur, Date of Decision 02.05.2018

(6) S.B. Criminal Appeal No.136/2014 Banwari v State of Rajasthan, High Court of Rajasthan, Jodhpur, Date of Decision 09.10.2017

(7) 2017(2) RJR (Raj.) 575
Ajaruddin @ Ajaru & ors v State of Rajasthan

(8) 2018(1) RJR (Raj.) 885
Subhash Bishnoi v State of Rajathan

(9) 2016(3) SCC 379
Union of India v Mohanlal

11. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई उनके तर्कों-वितर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया गया। इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

12. हस्तगत प्रकरण में निर्णय हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओं पर विचार करना है:-

***1. क्या दिनांक 13.03.2019 को समय लगभग 5.15 पीएम पर जिला राजसमन्द के आरक्षी केन्द्र नाथद्वारा के क्षेत्र त्रिनेत्र चौराहा के पास जितेन्द्र कुमार आंचलिया, थानाधिकारी थाना नाथद्वारा द्वारा अभियुक्त प्रहलाद के सचेतन कब्जे से मोटरसाइकिल नंबर आर.जे.27 एस.वाई. 4825 में परिवहन करते हुये उक्त मोटरसाइकिल की टंकी के उपर लगी रैग्जीन की जेब में से प्लास्टिक की थैली में 90 ग्राम मादक पदार्थ अफीद बरामद की गई जिसे अपने आधिपत्य में रखने या उसे परिवहन करने बाबत् अभियुक्त के पास कोई वैध लाईसेंस या दस्तावेज नहीं था और अभियुक्त ने उक्त मोटरसाइकिल का पंजीकृत स्वामी होते हुए उक्त अपराध को कारित करने में उक्त वाहन का उपयोग किया?***

***2. यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र हैं ?***

**<u>विचारणीय बिन्दु संख्या 01:-</u>**

13. उपरोक्त विचारणीय बिन्दू के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर आयी अभियोजन साक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित करें तो हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है।

14. गवाह पी.ड.1 जितेन्द्र इस प्रकरण का जप्ती अधिकारी है, जो दिनांक 13.03.2019 को पुलिस थाना नाथद्वारा में थानाधिकारी के पद पर तैनात था उस दिन 4.24 पीएम पर गश्त व नाकाबंदी के लिए गवाह पी.ड.4 रविन्द्रसिंह एएसआई, गवाह पी.ड.8 देवेन्द्र हैड

कांनि., गवाह पी.ड.6 अशोक कुमार कांनि, गवाह पी.ड.3 इन्द्रचन्द कांनि, गवाह पी.ड.7 नरेन्द्र कुमार कांनि. के साथ मय अनुसंधान सामग्री के सरकारी जीप चालक शंकरसिंह कांनि. के थाने से रवाना होकर त्रिनेत्र चौराहा नारथद्वारा पर समय 4.40 पीएम पर पहुंच कर नाकाबंदी व वाहन चैकिंग प्रारम्भ की।

15. गवाह पी.ड.1 जितेन्द्र जप्ती अधिकारी ने अपने बयानों में यह भी कथन किया है कि दौराने नाकेबंदी 5.15 पीएम पर पर एक मोटरसाइकिल उपली ओडन की तरफ से आती दिखाई दी जिसे रोका तो भागने का प्रयास किया जिसे पीछा कर पकड़ा। मोटरसाइकिल का नंबर आर.जे.27 एस.वाई. 4825 होना पाया। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रहलाद बताया। जिसकी मौके पर तलाशी ली तो उसकी जेब से नोकिया कम्पनी का मोबाईल और 150 रुपये नकद मिले। मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो टंकी के उपर लगी रेग्जीन की जेब से एक प्लास्टिक की थैली में काले रंग का द्रव्य पदार्थ भरा हुआ था जिसके बारे में पूछा तो अफीम होना बताया। रास्ते से मौतबिर को तलब किया तो हरीश कुमार ने बनने की सहमति दी व और कोई स्वतंत्र गवाह तैयार नहीं होने से कानि. इंद्रचंद को मौतबिर रखा। मौतबिरान के समक्ष उक्त अफीम की पॉलिथिन की थैली को खोलकर देखा, सूंघा व चखा तो उसमें अफीम होना पाया जिसका मौके पर इलेक्ट्रानिक कांटे से वजन किया तो थैली सहित 90 ग्राम वजन हुआ। उक्त अफीम बाबत् प्रहलाद से किसी अनुज्ञा पत्र अथवा लाइसेंस के बारे में पुछा तो नहीं होना बताया। उक्त अफीम में से 15 ग्राम अफीम नमूना सैम्पल एफएसएल जांच हेतु एवं 15 ग्राम कन्ट्रोल सैम्पल हेतु निकाल कर प्लास्टिक की पृथक-पृथक् थैलियों में रख कर सफेद कपड़े की थैली में रख सीलचिट कर क्रमशः मार्क-अ व मार्क-ब दिया गया। शेष बची अफीम को प्लास्टिक की थैली सहित एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सीलचिट कर मार्क-स दिया गया। प्रहलाद के कब्जे से मिले मोबाईल और 150 रुपये को एक सफेद कपड़े की थैली में बंद कर सीलचिट कर मार्ग-द अंकित किया गया।

16. गवाह पी.ड.1 जितेन्द्र जप्ती अधिकारी ने अपने बयानों में यह भी कथन किया है कि मोटरसाइकिल को जरिये फर्द जब्त किया गया और प्रहलाद रेबारी को 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध के जुर्म का आगाह करते हुये गिरफ्तार किया गया। थाने पहुंचकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया व चाक एफआईआर मूर्तिब की गई। फर्द पर्चा कायमी प्रदर्श पी-1 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी-2 है। मौतबिर सहमति पत्र क्रमशः प्रदर्श पी-3 व प्रदर्श पी-4 है। फर्द जब्ती मादक पदार्थ प्रदर्श पी-5 है। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी-6 है। फर्द जब्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी-7 है। धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी-8 है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-9 है। जब्तशुदा मादक पदार्थ को रिसील

कर मालखाना जरिये प्रदर्श पी-10 धारा 55 एनीडीपीएस एक्ट के तहत रखवाया गया। धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना प्रदर्श पी-11 है। थानाधिकारी खमनौर द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर पत्रावली बाद आदेश पुनः प्रेषित की गई जिस पर अभियुक्त प्रहलाद के विरूद्ध जुर्म धारा 8/18 व 8/25 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित होने से आरोप पत्र पेश किया। अनुसंधान अधिकारी द्वारा मूर्तिब नक्शा मौका प्रदर्श पी-12 है। धारा 27 की सूचना प्रदर्श पी-13 है। घटनास्थल की तस्दीक प्रदर्श पी-14 है। एफएसएल जांच हेतु थाना नाथद्वारा का पत्र प्रदर्श पी-15 है। एसपी कार्यालय का एफएसएल जांच हेतु प्रपत्र प्रदर्श पी-16 है। एफएसएल द्वारा मादक पदार्थ सीलचिट हालत में प्राप्त करने की रसीद प्रदर्श पी-17 है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 है। रोजनामचा रपट क्रमशः प्रदर्श पी-19 लगायत प्रदर्श पी-23 है। जिला परिवहन अधिकारी को लिखा गया पत्र प्रदर्श पी-25 है। आरटीओ द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटरसाइकिल की डिटेल प्रदर्श पी-25 है। मालखाना नकल रपट प्रदर्श पी-26 है।

17. गवाह पी.ड.1 जितेन्द्र जप्ती अधिकारी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि दिनांक 13.03.2019 को उसके साथ एएसआई रविन्द्रसिंह, हैड कांनि. देवेन्द्रसिंह और अशोक कुमार तथा कांनि. इन्द्र कुमार और नरेन्द्र जाब्ते के रूप में साथ में थे। यह कहना सही है कि जाब्ता उक्त दिनांक को 4.24 पीएम से लेकर पर्चा कायमी समय 8 पीएम तक उसके साथ ही था। प्रदर्श पी-19 रोजनामचा रपट संख्या 45 पर ए से बी स्थान पर अशोक कुमार हैड कांनि. का नाम अंकित है, वह क्यों अंकित है वह नहीं बता सकता। अज खुद कहा कम्प्यूटर ऑपरेटर ने सहवन से अशोक का नाम लिख दिया होगा। यह कहना सही है कि दिनांक 13.03.2019 को एनडीपीएस प्रकरण 114/19 में कार्यवाही कर 8.35 पीएम पर मोटरसाइकिल जब्त की गई थी। प्रहलाद को रोकने के बाद उसने व जाब्ते ने राह चलते मौतबिर तलाशी की थी। यह कहना सही है कि उसके द्वारा मौतबिर तलबी से पूर्व तलाशी ले ली गई थी। यह कहना सही है कि मौतबिर कायमी से पूर्व ही प्रहलाद के पास अफीम होना पाया गया था। यह कहना सही है कि मौतबिरों की उपस्थिति में जाब्ते के समक्ष प्रहलाद से पाया गया पदार्थ खोला गया था जो प्रदर्श पी-1 पर ई से एफ स्थान पर अंकित है। जिन प्लास्टिक की डिब्बियों में सेम्पल निकाले गये उन डिब्बियों का क्या वजन था इसका अंकन फर्दों में नहीं है। खाली डिब्बियों का क्या वजन था यह उसे याद नहीं है। मौके पर फर्दों का अंकन उसके द्वारा किया गया था। मादक पदार्थ का उनके द्वारा थैली रहित वजन किया गया था। यह कहना सही है कि मौतबिर द्वारा उनकी एवं उनके द्वारा मौतबिरों की तलाशी ली गई थी। यह कहना सही है कि इस बात का अंकन पर्चाकायमी में नहीं है। अजखुद कहा कि मौके पर मौतबिरों के सामने कार्यवाही प्रारम्भ

की गई, शब्द का अंकन है उसके अंदर यह सब शामिल है। थाने पर वे 8 बजकर 22 मिनट पर पहुंचे थे किन्तु पर्चाकायमी की पृष्ठ पर समय अंकित नहीं है।

18. गवाह पी.ड.4 रविन्द्रसिंह एएसआई ने अपने मुख्य परीक्षण में जब्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र के बयानों की पुष्टि करते हुए कथन किया है कि दिनांक 13.03.2019 को समय 4.24 पीएम पर एसएचओ जितेन्द्र, देवेन्द्र सिंह हैड कानि, अशोक कुमार हैड कांनि, नरेन्द्र, इन्द्रचन्द तथा वह मय सरकारी वाहन के वास्ते नाकाबंदी रवाना हुए। समय 4.40 पीएम पर त्रिनेत्र सर्किल पहुंच नाकाबंदी प्रारम्भ की। दौराने नाकेबंदी 5.15 पीएम पर एक मोटरसाइकिल उपली ओडन की तरफ से आती दिखाई दी जो पुलिस जीप को देखकर भागने लगा जिसे रोका व एसएचओ ने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रहलाद बताया। जिसकी मौके पर तलाशी ली तो उसकी जेब से नोकिया कम्पनी का मोबाईल और 130 या 150 रुपये नकद मिले। मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो टंकी के उपर लगी रेग्जीन की जेब से एक प्लास्टिक की थैली में काले रंग का द्रव्य पदार्थ भरा हुआ था जिसके बारे में पूछा तो अफीम होना बताया। अफीम रखने के बारे में कोई वैध कागजात होने के बारे में पुछा तो नहीं होना बताया। जिस पर एसएचओ ने मौतबिरान हेतु स्वतंत्र मौतबिर हरीश माली एवं इन्द्रचन्द से सहमति ली तो उन्होंने सहमति जाहिर की। इसके पश्चात् एसएचओ द्वारा द्रव पदार्थ को चखा व सुंघा तो अफीम होना पाये जाने से उसको वजन करने के लिए कहा। उन्होंने इलेक्ट्रानिक कांटे से वजन किया तो थैली सहित 90 ग्राम वजन हुआ। उक्त अफीम में से 15 ग्राम अफीम नमूना सैम्पल एफएसएल जांच हेतु एवं 15 ग्राम कन्ट्रोल सैम्पल हेतु निकाल कर प्लास्टिक की पृथक-पृथक् थैलियों में रख कर सफेद कपड़े की थैली में रख सीलचिट कर क्रमशः मार्क-अ व मार्क-ब दिया गया। शेष बची अफीम को प्लास्टिक की थैली सहित एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सीलचिट कर मार्क-स दिया गया। प्रहलाद के कब्जे से मिले मोबाईल और 150 रुपये को एक सफेद कपड़े की थैली में बंद कर सीलचिट कर मार्ग-द अंकित किया गया। मोटरसाइकिल को जरिये फर्द जब्त किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

19. चश्मदीद साक्षी पी.ड.4 रविन्द्रसिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि प्रहलाद से मिले पदार्थ को थैली रहित वजन नहीं किया गया था। थैली सहित ही वजन किया गया था जो 90 ग्राम था। उसके द्वारा खाली डिब्बियों का अलग से वजन किया गया था। खाली डिब्बियों में 100 ग्राम, 200 ग्राम एवं 300 ग्राम तक का वजन आ सकता था यह उसे आज याद नहीं है। मौके पर सभी फर्दों के अंकन/टंकन का कार्य इन्द्रचन्द के द्वारा एसएचओ के निर्देशन पर किया गया था। यह कहना सही है कि उसके समक्ष ही सभी फर्दों का अंकन हुआ था। टंकन का कार्य इन्दरचंद द्वारा सड़क पर किया गया था। प्रिंटिंग

का कार्य जीप के अंदर किया गया था। यह कहना सही है कि अशोक कुमार दिनांक 13.03.2019 को 4.24 पी.एम. से लेकर 8.22 पीएम तक उनके साथ में ही थे। प्रदर्श पी-19 रोजनामचा रपट संख्या 45 पर ए से बी में दिनांक 13.03.2019 समय 5.32 पीएम एवं अशोक कुमार राव एचसी अंकित है। यह कहना सही है कि दिनांक 13.03.2019 को प्रकरण संख्या 114/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में एसएचओ जितेन्द्र कुमार द्वारा 8.45 पीएम पर मोटरसाइकिल जब्त की गई थी। अज खुद कहा कि प्रदर्श डी.1 इस प्रकरण से संबंधित नहीं है।

20. गवाह पी.ड.8 देवेन्द्र हैड कांनि. ने अपने मुख्य परीक्षण में जब्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र के बयानों की पुष्टि करते हुए कथन किया है कि दिनांक 13.03.2019 को वह थानाधिकारी पुरणसिंह, रविन्द्रसिंह एएसआई, कांनि इन्द्रकुमार, कांनि नरेन्द्र कुमार व चालक शंकरसिंह मय सरकारी वाहन मय अनुसंधान सामग्री के थाने से रवाना हो त्रिनेत्र सर्किल पहुंचे व नाकाबंदी की। दौराने नाकाबंदी ओडन की तरफ से एक मोटरसाइकिल चालक आया जिसका जाप्ता पुलिस ने रूकवाया तो वह घबराकर वापस घुमा और भागने लगा। पुलिस ने उसे रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रहलाद बताया। जिसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से एक नोकिया कम्पनी का मोबाईल तथा 130 व 150 रुपये मिले। मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो टंकी की उपर की जेब से एक प्लास्टिक की थैली मिली जिसमें अफीम होना पाया। अफीम का कोई वैध लाईसेंस नहीं होना बताया। मौके पर राह चलते मौतबिर हरीश कुमार व जाब्ता पुलिस के इन्द्र कुमार को मौतबिर मामूर कर उक्त अफीम को जरिये फर्द जब्त की। जिसमें से 15 ग्राम कन्ट्रोल सैम्पल व 15 ग्राम नमूना सैम्पल निकाल कर मौके पर सीलचिट किया व शेष बचे माल को भी मौके पर सीलचिट किया। मोटरसाइकिल को जब्त किया। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन किया तो कुल वजन 90 ग्राम होना पाया जिसमें से सैम्पल लिये गये। अफीम, नोकिया फोन व 150 रुपये तथा मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। नक्शा मौका प्रदर्श पी-12 पर उसके हस्ताक्षर है।

21. गवाह पी.ड.8 देवेन्द्र हैड कांनि. ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह थानाधिकारी पूरणसिंह सभी थाने से करीब 4 बजे निकले थे। उसके साथ पुरणसिंह थानाधिकारी, रविन्द्र सिंह एएसआई, इन्द्रकुमार, नरेन्द्र कुमार मय चालक शंकरसिंह और वह साथ में थे। इनके अलावा और कोई नहीं था। प्रहलाद और मोटरसाईकिल की तलाशी पुरणसिंह द्वारा ली गयी थी। फर्दों का टंकन कार्य अशोक द्वारा किया गया। थैली सहित वजन 90 ग्राम था। प्रहलाद की जामा तलाशी से पहले नोटिस दिया था। प्रदर्श पी-19 में दिनांक 13.03.2019 को 5.25 पर हैड कांनि अशोक कुमार राव थाने पर ही

उपस्थित थे। यह कहना सही है कि मौतबिर कायमी से पूर्व ही प्रहलाद से मिले पदार्थ को सीआई द्वारा खोलकर अफीम होना पाया गया।

22. गवाह पी.ड.6 अशोक कुमार हैड कांनि. ने अपने मुख्य परीक्षण में जब्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र के बयानों की पुष्टि करते हुए कथन किया है कि दिनांक 13.03.2019 को एसएचओ जितेन्द्र, रविन्द्रसिंह एएसआई, देवेन्द्र सिंह हैड कानि, नरेन्द्र, इन्द्रचन्द व वह मय सरकारी वाहन मय चालक के वास्ते नाकाबंदी रवाना हो त्रिनेत्र सर्किल पहुंच नाकाबंदी प्रारम्भ की। दौराने नाकेबंदी एक मोटरसाइकिल उपली ओडन की तरफ से आती दिखाई दी जो नजदीक आने पर भागने लगा जिसे पीछा कर रोका व उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रहलाद बताया। जिसकी मौके पर तलाशी ली तो उसकी जेब से नोकिया कम्पनी का मोबाईल और 150 रुपये नकद मिले। मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो टंकी के उपर लगी रेग्जीन की जेब से एक प्लास्टिक की थैली में काले रंग का द्रव्य पदार्थ भरा हुआ था जिसके बारे में पूछा तो अफीम होना बताया। अफीम रखने के बारे में कोई वैध कागजात होने के बारे में पुछा तो नहीं होना बताया। हरीश माली ने मौतबिर बनने की सहमति दी। एसएचओ ने एक मौतबिर कांनि. इन्द्रचन्द को रखा। इलेक्ट्रानिक कांटे से वजन किया तो थैली सहित 90 ग्राम वजन हुआ। उक्त अफीम में से 15 ग्राम अफीम नमूना सैम्पल एफएसएल जांच हेतु एवं 15 ग्राम कन्ट्रोल सैम्पल हेतु निकाल कर प्लास्टिक की पृथक-पृथक् थैलियों में रख कर सफेद कपड़े की थैली में रख सीलचिट कर क्रमशः मार्क-अ व मार्क-ब दिया गया। शेष बची अफीम को प्लास्टिक की थैली सहित एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सीलचिट कर मार्क-स दिया गया। प्रहलाद के कब्जे से मिले मोबाईल और 150 रुपये को एक सफेद कपड़े की थैली में बंद कर सीलचिट कर मार्ग-द अंकित किया गया। प्रहलाद को गिरफ्तार किया। नक्शा मौका प्रदर्श पी-12 पर उसके हस्ताक्षर है।

23. गवाह पी.ड.6 अशोक कुमार हैड कांनि. ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि थाने से 4.40 पर रवाना हुए थे तथा 6-6.30 बजे वापस थाने पर आये थे। रोजनामचा प्रदर्श पी-19 दिनांक 13.03.2019 का है, रपट संख्या 45 का समय 5.32 पीएम अंकित हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-19 में रपट संख्या 45 के अंकन में उसका नाम अंकित है क्योंकि इस वक्त वह थाने पर था। नाकाबंदी त्रिनेत्र सर्किल के पास में की थी। यह सही है कि हरीश माली पूर्व में उसके साथ एनडीपीएस कार्यवाही में मौतबिर रहा है। यह कहना सही है कि प्रकरण संख्या 114/19 दिनांक 13.03.19 को समय 8.35 पीएम पर जितेन्द्र आंचलिया थानाधिकारी द्वारा मोटरसाइकिल जप्त की गई थी जो त्रिनेत्र सर्किल से की थी जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श डी.1 है। जाप्ता की तलाशी किसी ने नहीं ली। जीप कहां खड़ी

थी व टाईपिंग कार्य कहां किया गया उसकी जानकारी में नहीं है। तलाशी से पूर्व मुलजिम को नोटिस नहीं दिया था। वह थाने पर साथ में ही आया था। उस दिन मालखाना इंचार्ज वह ही था।

24. गवाह पी.ड.3 इन्द्रचन्द कांनि. ने अपने मुख्य परीक्षण में जब्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र के बयानों की पुष्टि करते हुए कथन किया है कि दिनांक 13.03.2019 को समय 4.24 पीएम पर एसएचओ जितेन्द्र, रविन्द्रसिंह एएसआई, देवेन्द्र सिंह हैड कानि, अशोक कुमार हैड कांनि, नरेन्द्र व वह मय सरकारी वाहन मय चालक शंकरसिंह के वास्ते नाकाबंदी रवाना हुए। समय 4.40 पीएम पर त्रिनेत्र सर्किल पहुंच नाकाबंदी प्रारम्भ की। दौराने नाकेबंदी 5.15 पीएम पर पर एक मोटरसाइकिल उपली ओडन की तरफ से आती दिखाई दी जो पुलिस जीप को देखकर भागने लगा जिसे पीछा कर पकड़ा। एसएचओ ने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रहलाद बताया। जिसकी मौके पर तलाशी ली तो उसकी जेब से नोकिया कम्पनी का मोबाईल और 150 रुपये नकद मिले। मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो टंकी के उपर लगी रेग्जीन की जेब से एक प्लास्टिक की थैली में काले रंग का द्रव्य पदार्थ भरा हुआ था जिसके बारे में पूछा तो अफीम होना बताया। अफीम रखने के बारे में कोई वैध कागजात होने के बारे में पुछा तो नहीं होना बताया। जिस पर एसएचओ ने मौतबिरान हेतु स्वतंत्र मौतबिर हरीश माली एवं उससे सहमति ली तो उन्होंने सहमति जाहिर की। इसके पश्चात् एसएचओ द्वारा द्रव पदार्थ को चखा व सुंघा तो अफीम होना पाये जोन से रविन्द्रसिंह एसएसआई को वजन करने के लिए कहा। उन्होंने इलेक्ट्रानिक कांटे से वजन किया तो थैली सहित 90 ग्राम वजन हुआ। उक्त अफीम में से 15 ग्राम अफीम नमूना सैम्पल एफएसएल जांच हेतु एवं 15 ग्राम कन्ट्रोल सैम्पल हेतु निकाल कर प्लास्टिक की पृथक-पृथक् थैलियों में रख कर सफेद कपड़े की थैली में रख सीलचिट कर क्रमशः मार्क-अ व मार्क-ब दिया गया। शेष बची अफीम को प्लास्टिक की थैली सहित एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सीलचिट कर मार्क-स दिया गया। प्रहलाद के कब्जे से मिले मोबाईल और 150 रुपये को एक सफेद कपड़े की थैली में बंद कर सीलचिट कर मार्ग-द अंकित किया गया। मोटरसाइकिल को जरिये फर्द जब्त किया गया। फर्द सहमति प्रदर्श पी-4 है। फर्द जब्ती अवैध मादक पदार्थ अफीम प्रदर्श पी-5 है। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी-6 हैं। फर्द जब्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी-7 है। नोटिस धारा 52 प्रदर्श पी-8 है। फर्द गिरफ्तारी प्रहलाद प्रदर्श पी-9 है। धारा 55 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी-10 है। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी-12 है। इन सभी पर उसके हस्ताक्षर है।

25. गवाह पी.ड.3 इन्द्रचन्द कांनि. ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रकरण संख्या 114/19 एनडीपीएस 8/21 में वह मौतबिर रहा था। प्रकरण संख्या

114/19 में दिनांक 13.03.2019 को कोई मोटरसाइकिल जब्त नहीं की गई थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी.1 में प्रकरण संख्या 114/19/रोज.आम. की सं. दिनांक 13.09.2019 अंकित हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-19 में रोजनामचा संख्या 45 पर दिनांक 13.03.2019 को 5.32 पीएम पर अशोक के कहने पर रोजनामा अंकित किया गया था। प्रकरण संख्या 115/19 में अशोक 4.24 मिनट से लेकर 6 बजे तक साथ ही थे। वे सभी थाने से भी साथ साथ ही निकले थे और मौके से भी साथ साथ ही थाने पर आये थे। 5.32 पर अशोक थाने पर नहीं थे उसके साथ ही थे। मौके पर फर्दों का अंकन एसएचओ और देवेन्द्रसिंह द्वारा किया गया था। अभियुक्त सर्विस लाईन से आ रहा था। उस समय सभी फर्दों पर अंकन कम्प्यूटर द्वारा जीप में बैठकर ही किया गया था। मौतबीर तलबी से पूर्व ही उस व्यक्ति ने उन्हें बता दिया था। खाली डिब्बी का वजन कितना था उसे पता नहीं है। डिब्बी में पदार्थ भरने के बाद उसका वजन डिब्बी सहित 15 ग्राम था। अज खुद कहा कि 15 ग्राम से ज्यादा था कितना था यह पता नहीं है। यह कहना सही है कि शेष बचे पदार्थ का वजन फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5 पर अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि मौका कार्यवाही स्थल की सड़क सबसे व्यस्ततम सड़क है। स्वतंत्र मौतबीर के लिए प्रयास किया था पर नहीं मिला जिस पर उसे बनाया था। मौका कार्यवाही नक्शा मौका 13 के ए स्थान पर की थी। उनकी जीप ए स्थान पर ही खड़ी थी। आरोपी को तलाशी से पूर्व धारा 50 का नोटिस एसएचओ के द्वारा दिया गया था। उक्त पर्चा कायमी के 20-30 मिनट बाद करीब सवा आठ बजे तक रविन्द्र सिंह, अशोक, देवेन्द्र सिंह, नरेन्द्र, वह, मय चालक व एसएचओ अभियुक्त व वाहन के थाने पर आ गये थे।

26. गवाह पी.ड.7 नरेन्द्र कुमार कांनि. ने अपने मुख्य परीक्षण में जब्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र के बयानों की पुष्टि करते हुए कथन किया है कि दिनांक 13.03.2019 को समय 4.24 पीएम पर एसएचओ जितेन्द्र, रविन्द्रसिंह एएसआई, देवेन्द्र सिंह हैड कानि, अशोक कुमार हैड कांनि, इन्द्रचन्द व वह मय सरकारी वाहन मय चालक शंकरसिंह के वास्ते नाकाबंदी रवाना हुए। समय 4.40 पीएम पर त्रिनेत्र सर्किल पहुंच नाकाबंदी प्रारम्भ की। दौराने नाकेबंदी 5.15 पीएम पर पर एक मोटरसाइकिल उपली ओडन की तरफ से आती दिखाई दी जो पुलिस जीप को देखकर भागने लगा जिसे पीछा कर पकड़ा। एसएचओ ने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रहलाद बताया। जिसकी मौके पर तलाशी ली तो उसकी जेब से नोकिया कम्पनी का मोबाईल और 130 व 150 रुपये नकद मिले। मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो टंकी के उपर लगी रेग्जीन की जेब से एक प्लास्टिक की थैली में काले रंग का द्रव्य पदार्थ भरा हुआ था जिसके बारे में पूछा तो अफीम होना बताया। अफीम रखने के बारे में कोई वैध कागजात होने के बारे में पुछा तो नहीं होना

बताया। जिस पर एसएचओ ने मौतबिरान हेतु स्वतंत्र मौतबिर हरीश माली एवं इन्द्रचन्द से सहमति ली तो उन्होंने सहमति जाहिर की। इसके पश्चात् एसएचओ द्वारा द्रव पदार्थ को चखा व सुंघा तो अफीम होना पाये जाने से रविन्द्रसिंह एसएसआई को वजन करने के लिए कहा। उन्होंने इलेक्ट्रानिक कांटे से वजन किया तो थैली सहित 90 ग्राम वजन हुआ। उक्त अफीम में से 15 ग्राम अफीम नमूना सैम्पल एफएसएल जांच हेतु एवं 15 ग्राम कन्ट्रोल सैम्पल हेतु निकाल कर प्लास्टिक की पृथक-पृथक् थैलियों में रख कर सफेद कपड़े की थैली में रख सीलचिट कर क्रमशः मार्क-अ व मार्क-ब दिया गया। शेष बची अफीम को प्लास्टिक की थैली सहित एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सीलचिट कर मार्क-स दिया गया। प्रहलाद के कब्जे से मिले मोबाईल और 130 व 150 रुपये को एक सफेद कपड़े की थैली में बंद कर सीलचिट कर मार्ग-द अंकित किया गया। मोटरसाइकिल को जरिये फर्द जब्त किया गया।

27. गवाह पी.ड.7 नरेन्द्र कुमार कांनि. ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उक्त व्यक्ति से मिली थैली को मौतबीर कायमी के पश्चात खोला गया था। थैली एसएचओ द्वारा खोली गयी थी। मौतबिर तलबी हेतु रविन्द्रसिंह को भेजा था जो पैदल गये थे। यह कहना सही है कि दिनांक 13.03.2019 को प्रकरण संख्या 114/19 समय 8.35 पर जितेन्द्र आंचलिया द्वारा मोटरसाइकिल जब्त की जो मौके पर ही की गयी थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-19 रोजनामचा रपट संख्या 45 में समय 5.32 पीएम पर अशोक कुमार राव हैड कानि का नाम अंकित है। यह कहना सही है कि रोजनामचा रपट में नाम तभी अंकित होता है जब उक्त व्यक्ति स्वयं रपट दर्ज करता है। मौके पर अंकन का कार्य इन्द्रचंद द्वारा किया गया। प्रहलाद की तलाशी से पूर्व एसएचओ द्वारा तलाशी हेतु नोटिस दिया गया था।

28. जप्ती का स्वतंत्र मौतबिर पी.ड.2 हरीश कुमार माली है, इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाना कहा है। इस साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है और इस साक्षी ने अभियोजन प्रकरण का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

29. स्वतंत्र मौतबिर पी.ड.2 हरीश कुमार माली ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह कहा है कि पुलिस ने उसके सभी फर्दों पर पुलिस थाने पर खाली कागजों पर करवाये थे। पुलिस ने उसके सामने किसी प्रकार की जब्ती और गिरफ्तारी नहीं की थी। वह अपने काम से थाने पर गया था और पुलिस वालों के कहने से उसके द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये गये थे।

30. गवाह पी.ड.5 विक्रमसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 13.03.2019 को अनुसंधान अधिकारी जितेन्द्र आंचलिया द्वारा अभियुक्त प्रहलाद के

कब्जे से अवैध अफीम के पैकैट सीलचिट अवस्था में मार्क-अ, ब और स मालखाना इंचार्ज अशोक हैड कांनि के सुपुर्द किए जिसकी फर्द प्रदर्श पी-10 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

31. गवाह पी.ड.5 विक्रमसिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि उक्त फर्द में व मालखाना इंचार्ज द्वारा जब्तशुदा आर्टिकल को उसके समक्ष व अन्य मौतबिरान के समक्ष मालखाना सील से रीसील नहीं किया गया था। यह कहना सही है कि हैड कांनि. अशोक कुमार उस दिनांक 13.03.2019 को मालखाना इंचार्ज नहीं थे बल्कि वो कार्यवाहक इंचार्ज थे। उक्त दिनांक को मालखाना इंचार्ज अशोक थे।
32. गवाह पी.ड.9 दशरथसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 15.03.2019 को प्रकरण में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त प्रहलाद की निशादेही से घटना स्थल की तस्दीक हेतु थानाधिकारी महेश मीणा के साथ वह तथा कांनि. शिवदर्शन सिंह मय अभियुक्त के रवाना होकर सावा चित्तोड़गढ़ पहुंचे। कुछ दूरी पर कच्चे रास्ते में पहुंचे जहां पर प्रहलाद ने गाडी रोकने का इशारा कर पुलिस जाब्ते के सामने वह स्थान बताया कि इसी स्थान पर दिनांक 13.03.2019 को उसके द्वारा रमेश नाम के व्यक्ति से 25 हजार रुपये में 90 ग्राम अफीम खरीदी थी जिसका नक्शा घटनास्थल तस्दीक एसएचओ द्वारा उसके समक्ष बनाया जो प्रदर्श पी-14 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।
33. गवाह पी.ड.9 दशरथसिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वाहन शिवदर्शन सिंह चलाकर ले गया था।
34. गवाह पी.ड.10 राजेश ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 14.03.2019 को प्रकरण में धारा 57 की सूचना बाबत् उसे रवाना किया गया। धारा 57 की सूचना प्रदर्श पी-11 है। उसकी रवानी रोजनामचा रपट प्रदर्श पी-21 है व आमद प्रदर्श पी-22 है।
35. गवाह पी.ड.10 राजेश ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह प्रदर्श-11 में दो प्रकरणों की सूचना लेकर रवाना हुआ था।
36. गवाह पी.ड.11 शिवदर्शन ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 15.03.2019 को प्रकरण में एसएचओ के साथ वह, हैड कांनि दशरथ सिंह अभियुक्त प्रहलाद के सावा चित्तौडगढ प्रहलाद द्वारा जिस स्थान पर अफीम खरीदना बताया जिस पर एसएचओ द्वारा उस स्थान की घटनास्थल तस्दीक कर फर्द प्रदर्श पी-14 मुर्तिब की जिस पर उसके हस्ताक्षर है।
37. गवाह पी.ड.11 शिवदर्शन ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ड्राईवर कौन था आज उसे याद नहीं। पुलिसकर्मी में से कोई ड्राईवर था नाम उसे याद नहीं।

38. गवाह पी.ड.12 राजेन्द्र कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 08.05.2019 को उसे जब्तशुदा आर्टिकल मार्क-ए व डी सीलचिट अवस्था में मालखाना प्रभारी अमरसिंह द्वारा एफएसएल जांच हेतु मय अग्रेषण पत्र उसे सुपुर्द किये। वह उस दिन उक्त जब्तशुदा आर्टिकल को मय अग्रेषण पत्र के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजसमन्द पहुंचा जहां पर उसने विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर के नाम अग्रेषण पत्र बनवाया और उदयपुर पहुंचा। जहां पर एतराज होने से पुनः उसके द्वारा जब्तशुदा आर्टिकल्समालखाना को लाकर सुपुर्द किया। दिनांक 09.05.2019 को पुनः मालखाना प्रभारी से उक्त आर्टिकल्स सीलचिट अवस्था में प्राप्त कर एसपी कार्यालय राजसमन्द से अग्रेषण पत्र तैयार करवा कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आर्टिकल्स जमा कराकर रसीद लाकर सुपुर्द की। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-15 है। जिला पुलिस अधीक्षक का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-16 है। प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-17 है। रोजनामचा रपट प्रदर्श पी-23 है।

39. गवाह पी.ड.12 राजेन्द्र कुमार ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि दिनांक 08.05.2019 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर के द्वारा जिस अग्रेषण पत्र पर आपत्ति लगायी गयी थी उस अग्रेषण पत्र को उसने एचएम मालखाना को लाकर दिया था। दूसरे दिन उसी अग्रेषण पत्र एचएम मालखाना इंचार्ज ने एतराज पूर्ति के बाद मय आर्टिकल्स के उसे दिया था। आपत्ति किस बाबत् लगी थी आज उसे याद नहीं। यह सही है कि आपत्ति वाला अग्रेषण पत्र पत्रावली पर नहीं है।

40. गवाह पी.ड.13 अमरसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 13.03.2019 को प्रकरण में थानाधिकारी जितेन्द्र कुमार द्वारा मुलजिम प्रहलाद से जब्तशुदा आर्टिकल अ, ब, स व द सीलचिट शुदा दिये व एक मोटरसाइकिल दी गई जिन्हें मालखाना में सुरक्षित रख मालखाना रजिस्टर में दर्ज किया। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-26 है। एफएसएल हेतु कांनि राजेन्द्र को आर्टिकल दिये गये। एफएसएल में एतराज होने पर पुनः पूर्ति कर कांनि. राजेन्द्र को एफएसएल में आर्टिकल जमा कराने हेतु दिये जिसका इन्द्राज प्रदर्श पी-26 में है।

41. गवाह पी.ड.13 अमरसिंह ने अपने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि दिनांक 13.03.2019 को मालखाना इंचार्ज के पद पर वह ही था अन्य कोई पुलिसकर्मी कार्यवाही मालखाना इंचार्ज नहीं था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-26 में सी. से डी. स्थान पर पूर्व में अन्य हस्ताक्षर थे जिस पर वाइटनर लगा उसके द्वारा हस्ताक्षर किये। यह कहना भी सही है कि आर्टिकल अ को रिसील किया इसका पृष्ठांकन मालखाना पर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-10 धारा 55 फर्द में जब्तशुदा आर्टिकल उसे

दिया गया हो इसका इंद्राज नहीं है। प्रदर्श पी-10 में जब्तशुदा पैकेट मार्क अ, ब, स को रिसील किए जाने का अंकन नहीं है।

42. गवाह पी.ड.14 डॉ. लेखपाल शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 19.09.2019 को को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा के पद पर पदस्थापित था उस दिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमंद के आदेश से पुलिस थाना नाथद्वारा के प्रकरण संख्या 115/2019 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में राज्य बनाम प्रहलाद की इन्वेन्टरी कार्यवाही हेतु उसे आदेशित किया गया जो पत्र प्रदर्श पी 27 है। उक्त प्रकरण में इन्वेन्टरी की कार्यवाही करने जाने बाबत् अनुमति ली गयी जो पत्र प्रदर्श पी 28 है, जिस पर तत्कालीन जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद के हस्ताक्षर है। दिनाक 27.09.2019 को संबंधित थाने में जाकर उसके द्वारा उक्त प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ की इन्वेन्टरी की कार्यवाही संपादित की गयी थी। जब्तशुदा चार पैकेट अ, ब, स, द उसके समक्ष पेश हुये थे, जिनमें से पैकेट अ व ब सिलचीट अवस्था में कपडे की थैली में पैक था। पैकेट अ पर नमूना सैम्पल होने का उल्लेख था। पैकेट ब पर कंट्रोल सेम्पल होने का उल्लेख था। इसी प्रकार पैकेट स सील चीट अवस्था में कपडे की थैली थी, जिसमें शेष बची अफीम प्लास्टिक की डिब्बी में होने का उल्लेख था। इसी प्रकार पैकेट द एक सफेद कपडे की थैली में सील चीट अवस्था में था जिस पर एक नोकिया मोबाइल व 150 रूपये होने का उल्लेख था। उपरोक्त चारों पेकेट का मालखाना रजिस्टर से मिलान किया गया जो समान रूप से अंकित पाया गया। पैकेट अ के संदर्भ में मालखाना रजिस्टर में एफएसएल से बाद जांच प्राप्त होने का उल्लेख था। उक्त चारों थैलियों को एक साथ रखकर फोटोग्राफी करवायी गयी, जो एनेक्सर 01 होकर फोटोग्राफस प्रदर्श पी 29, 30, 31, 32 व 33, मादक पदार्थ के संदर्भ में पेकेट अ. ब. स थे, जिनमें से पैकेट अ का वजन करवाया तो 24.97 ग्राम हुआ, जिसकी फोटोग्राफ एनेक्सर 02, पैकेट ब का सीलचीट थेली सहित वजन करवाया तो 36.86 ग्राम पाया गया जिसकी फोटोगाफ एनेक्सर 03, पैकेट मार्क स का वजन कराया तो 89.77 ग्राम पाया गया जिसका फोटो एनेक्सर 04, उक्त चारों थैलियों पर उसके हस्ताक्षर किये गये व न्यायालय की मोहर अंकित की गयी जिसकी फोटोग्राफी करायी गयी जो एनेक्सर 05, इन्वेन्टरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 34, उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर संबंधित न्यायालय को प्रेषित की गयी जिसका पत्र प्रदर्श पी 37, उसके द्वारा इन्वेन्टरी की कार्यवाही के लिये जाने से पूर्व संबंधित थानाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया था जो प्रदर्श पी 35, उसके द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद को पत्र प्रदर्श पी 36 के जरिये इन्वेन्टरी रिपोर्ट भिजवायी गयी थी।

43. गवाह पी.ड.14 डॉ. लेखपाल शर्मा ने अपने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि यह सही है कि इन्वेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी-34 में भी इसका उल्लेख नहीं है कि पैकेट मार्क अ, ब, स, द री-सील थे या नहीं। यह सही है कि मालखाना रजिस्टर में उपरोक्त तीनों पैकेट मार्क अ, ब, स का पृथक पृथक वजन कितना था यह प्रदर्श पी-34 में इसका अंकन नहीं किया गया है। मालखाना रजिस्टर में पैकेट मार्क अ का एफएसएल से बाद जांच लौटने का अंकन था अजखुद कहा कि पैकेट अ उसके समक्ष सीलचीट अवसथा में पेश हुआ था। यह सही है कि प्रदर्श पी-34 में पैकेट मार्क अ, ब, स का थैली रहित वजन कितना था यह अंकन नहीं है। यह सही है कि मार्क अ, ब, स का थैली से निकाल शुद्ध वजन नहीं किया गया। यह कहना सही है कि पैकेट अ, ब, स व द के अंदर क्या पदार्थ था यह उसके द्वारा पैकेट खोलकर नहीं देखा गया केवल मालखाना रजिस्टर के आधार पर अंकित किया गया।

**<u>धारा 42 व 50 अधिनियम, 1985 की पालना के संबंध में:-</u>**

44. विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्य तर्क है कि अधिनियम, 1985 की धारा 42 व 50 के आज्ञापक प्रावधानों का अभियोजन पक्ष ने उल्लंघन किया है। विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने अधिनियम की धारा 42 व 50 का उल्लंघन नहीं किया है और उसकी पूर्ण पालना की गयी है। हमने उभय पक्षों के उक्त तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रोजनामचा रपट संख्या 044 समय 4.24 पीएम दिनांक 13.03.2019 पुलिस थाना नाथद्वारा जिला राजसमन्द प्रदर्श पी-19 है जिसके अनुसार थानाधिकारी जितेन्द्र कुमार आंचलिया मय जाप्ता सउनि रविन्द्रसिंह, हैड कांनि. देवेन्द्रसिंह 450, हैड कांनि अशोक कुमार 106, कांनि. इन्द्र कुमार 363, कांनि. नरेन्द्र कुमार 920 मय सरकारी जीप मय चालक मय अनुसंधान सामग्री के वास्ते नाकाबंदी हेतु त्रिनेत्र तिराहा रवाना हुए जहां 4.40 पीएम पर पहुंच हाईवे पर नाकाबंदी व वाहन चैकिंग प्रारम्भ की। दौराने नाकाबंदी वक्त 5.15 पीएम पर एक मोटरसाइकिल नंबर आर.जे.27 एस.वाई. 4825 उपली ओडन की तरफ से आती दिखी जिसके चालक ने हेलमेट नहीं लगा रखा था नजदीक आने पर जाब्ता पुलिस देख मोटरसाइकिल को टर्न कर भागने लगा जिस पर उसका पीछा कर उक्त व्यक्ति को मोटरसाइकिल के साथ डिटेन किया तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रहलाद रेबारी होना बताया। जिसकी मौके पर मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो टंकी के उपर लगी रैग्जीन की जेब से एक प्लास्टिक की थैली में काले रंग का द्रव्य भरा हुआ मिला जिसके बारे में पूछने पर प्रहलाद ने अफीम होना बताया। जिसका मौके पर इलेक्ट्रोनिक कांटे से वजन किया तो थैली सहित 90 ग्राम

होना पाया गया जिसे जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5 के जब्त किया गया जिसमें से 15-15 ग्राम नमूना सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल एक-एक प्लास्टिक की डिब्बी में निकाल सफेद कपड़े की थैली में रख सीलचिट कर क्रमशः मार्क-अ व मार्क-ब अंकित किये। शेष बची अवैध अफीम को प्लास्टिक की थैली सहित एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख सीलचिट बंद कर मार्क-स दिया गया। जप्ती अधिकारी पी.ड.जितेन्द्र कुमार ने उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित किया है तथा जप्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार के कथनों की ताईद पुलिस जाप्ता के सदस्य व चश्मदीद साक्षी पी.ड.3 इन्द्रचन्द्र, पी.ड.4 रविन्द्र सिंह, पी.ड.6 अशोक कुमार, पी.ड.7 नरेन्द्र कुमार व पी.ड.8 देवेन्द्र सिंह ने भी की है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रकट होता है कि आकस्मिक नाकाबंदी के दौरान उक्त मोटरसाइकिल संख्या आर.जे.27 एस.वाई. 4825 पर एक व्यक्ति का बिना हैलमेट के आना जो मौके पर पुलिस जाप्ता को देखकर टर्न कर भागने लगा जिस पर पुलिस जाप्ता द्वारा पीछा कर उक्त व्यक्ति व मोटरसाईकिल को डिटेन करना जिसे शंका होने पर उसका नाम पता पूछना और उसकी मोटरसाईकिल की तलाशी के दौरान उपरोक्त मादक पदार्थ की बरामदगी हुई है। हस्तगत प्रकरण में अफीम की बरामदगी मुखबिर की सूचना के अनुसरण में नहीं हुई है बल्कि आकस्मिक नाकाबंदी तथा चांस/एक्सीडेंटल रिकवरी द्वारा की गई है, ऐसी स्थिति में धारा 42(2) अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने धारा 42 व 50 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

45. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **हिमाचल प्रदेश बनाम सुनिल कुमार, 2014(4) एस.सी.सी. पेज 780** के प्रकरण में विधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "एक्सीडेंटल व चांस रिकवरी के मामले में धारा 50 अधिनियम, 1985 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उक्त न्यायिक दृष्टान्त वाले प्रकरण में अभियुक्त सुनिल कुमार के पास केवल अवैध वस्तु मादक पदार्थ हो, ऐसा पुलिस जाब्ते को ज्ञात नहीं था क्योंकि अवैध वस्तु तस्करी का सोना, चोरी की सम्पत्ति, अवैध आग्नेय अस्त्र या अवैध मादक पदार्थ कुछ भी हो सकता है। इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। बचाव पक्ष का यह तर्क अस्वीकार किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने धारा 42 व धारा 50 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

46. इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) Cr.L.R. (Raj.) 1 Ladulal Gurjar v State of Rajasthan, न्यायिक दृष्टान्त S.B. Criminal Appeal No.136/2014 Banwari v State of Rajasthan, High Court of Rajasthan, Jodhpur, Date of Decision 09.10.2017 तथा न्यायिक

दृष्टान्त 2016(3) SCC 379 Union of India v Mohanlal में प्रतिपादित सिद्धान्तों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ परन्तु उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में वर्णित तथ्य एवं परिस्थितयां हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितयों से भिन्न है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के अनुसार अफीम की बरामदगी मुखबिर की सूचना के अनुसरण में नहीं हुई है बल्कि आकस्मिक नाकाबंदी तथा चांस/एक्सीडेंटल रिकवरी द्वारा की गई है, इस कारण उक्त न्यायिक दृष्टान्तों से बचाव पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है।

**धारा 57 अधिनियम, 1985 की पालना के संबंध में:-**

47. बचाव पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन पक्ष ने प्रकरण की सूचना पुलिस अधिकारियों को धारा 57 अधिनियम के अनुसार नियत समय सीमा में भेजा जाना साबित नहीं किया है। विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध किया। मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 57 अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी-11 है और धारा 57 अधिनियम की सूचना जिला पुलिस अधीक्षक को भेजने बाबत् रोजनामचा रपट प्रदर्श पी-21 है जिसके अनुसार प्रकरण संख्या 115/19 धारा 8/18 अधिनियम पुलिस थाना नाथद्वारा जिला राजसमन्द की धारा 57 अधिनियम की सूचना पुलिस अधीक्षक जिला राजसमन्द तथा वृत्ताधिकारी वृत नाथद्वारा को दी गई है। पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना प्रदर्श पी-11 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है और एसपी साहब के प्राप्ति के हस्ताक्षर ई से एफ है तथा सी से डी स्थान पर डिप्टी साहब के हस्ताक्षर है। प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही दिनांक 13.03.2019 को की गई है और धारा 57 अधिनियम की सूचना भी पुलिस अधीक्षक जिला राजसमन्द व वृत्ताधिकारी वृत नाथद्वारा को दिनांक 14.03.2019 को प्रेषित की गई है। उक्त सूचना पी.ड.10 राजेश कांनि. के माध्यम से प्रेषित की गई थी जिसकी पुष्टि रोजनामचा रपट प्रदर्श पी-21 से होती है। अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि जप्ती कार्यवाही के पश्चात् धारा 57 अधिनियम के तहत पुलिस कार्यवाही बाबत् सूचना पुलिस अधिकारियों को अधिनियम द्वारा नियत समयावधि में प्रेषित कर दी गई है। बचाव पक्ष के इस तर्क को अस्वीकार किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने धारा 57 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

**धारा 52 अधिनियम, 1985 की पालना के संबंध में:-**

48. जप्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार ने सशपथ कथन किया है कि अभियुक्त प्रहलाद को धारा 52 अधिनियम, 1985 का नोटिस प्रदर्श पी-8 देकर उसको गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए जरिये फर्द प्रदर्श पी-9 के गिरफ्तार किया गया जिन पर जप्ती

अधिकारी ने अपने, मौतबिरान व अभियुक्त के हस्तक्षर होना बताया है। जप्ती अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 52 की पालना करते हुए अभियुक्त प्रहलाद को गिरफ्तार किया गया है।

**<u>जप्ती से लेकर नमुना सैम्पल एफएसएल पहुंचने के संबंध में:-</u>**

49. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष ने अपनी साक्ष्य से यह साबित नहीं किया है कि जप्ती अधिकारी ने जप्ती कार्यवाही के पश्चात् नमूना सैम्पल, कन्ट्रोल सैम्पल तथा अवैध अफीम सीलचिट बंद सुरक्षित हालत में मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर दी थी, उनका तर्क है कि अभियोजन साक्ष्य से यह भी साबित नहीं है कि नमूना सैम्पल सीलबंद चिट हालत में मालखाना से प्राप्त करने के पश्चात् विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया है। विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने इन तर्कों का विरोध किया। उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि फर्द जप्ती अवैध मादक पदार्थ अफीम प्रदर्श पी-5 है जिसे जप्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार ने प्रमाणित करते हुए कहा है कि दिनांक 13.03.2019 को त्रिनेत्र सर्किल पर दौराने नाकाबंदी करीब 5.15 पीएम पर अभियुक्त प्रहलाद के आधिपत्य की मोटरसाइकिल संख्या आर.जे. 27 एस.वाई. 4825 की टंकी के उपर लगी रैग्जीन की जेब से प्लास्टिक की थैली में अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद करना जिसका थैली सहित वजन 9. ग्राम था। मोटरसाइकिल को जरिये फर्द प्रदर्श पी-7 जप्त किया गया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी-5 पर स्वतंत्र गवाह पी.ड.2 हरीश कुमार व पी.ड.3 इन्द्रचन्द्र तथा जप्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी-6 है जिस पर गवाह पी.ड.2 हरीश कुमार व पी.ड.3 इन्द्रचन्द्र तथा पी.ड.1 जप्ती अधिकारी जितेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है। जप्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि फर्द जप्ती अवैध मादक पदार्थ अफीम प्रदर्श पी-5, फर्द जप्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी-7 पर उसके तथा गवाह पी.ड.2 हरीश कुमार व पी.ड.3 इन्द्रचन्द्र के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार जप्ती अधिकारी ने अपने बयानों में इस तथ्य को भी प्रमाणित किया है कि अभियुक्त प्रहलाद के आधिपत्य की उक्त मोटरसाइकिल की टंकी के उपर रैग्जीन  की जेब से एक प्लास्टिक की थैली में अवैध मादक पदार्थ अफीम को जप्त किया जिसका थैली सहित वजन करने पर 90 ग्राम पाया गया। उक्त अफीम में एफएसएल जांच हेतु 15 ग्राम का नमूना सैम्पल व 15 ग्राम का कन्ट्रोल सैम्पल लेकर मौके पर सीलचिट किये गये। नमूना सैम्पल पर मार्क-अ व कन्ट्रोल सैम्पल पर मार्क ब, तथा शेष बचे माल को उसी थैली में रखकर सीलचिट

कर मार्क क्रमशः स अंकित किया तथा माबाईल और 150 रुपये को एक सफेद कपड़े की थैली में बंद कर सीलचिट कर मार्क-द अंकित किया गया। जब्तशुदा आर्टिकल एचएम मालखाना को संभला कर पर्चा 55 एनडीपीएस एक्ट का मुर्तिब किया और जब्तशुदा मादक पदार्थ को रिसील कर मालखाना जरिये प्रदर्श पी-10 के तहत रखवाया। गवाह पी.ड.13 अमरसिंह मालखाना प्रभारी ने उपरोक्त कथनों की ताईद करते हुए जप्ती अधिकारी जितेन्द्र कुमार के द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा आर्टिकल मार्क अ, ब, स व द सीलचिट हालत में दिये तथा एक मोटरसाइकिल दी गयी जिन्हें मालखाने में जमा किया व मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-26 में इन्द्राज किया गया। गवाह पी.ड.9 अमरसिंह मालखाना इंचार्ज ने अपने बयानों में इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि एफएसएल हेतु कांनि. राजेन्द्र को आर्टिकल दिये जिसका इन्द्राज प्रदर्श पी-26 पर है। गवाह पी.ड.12 राजेन्द्र कुमार कांनि. ने भी अपने बयानों में इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि मालखाना इंचार्ज अमरसिंह से प्रकरण में सैम्पल सीलचिट अवस्था में जब्तशुदा आर्टिकल मार्क-ए व डी मय अग्रेषण पत्र उसे सुपुर्द किये जो वह उस दिन जिला पुलिस अधीक्षक राजसमंद के कार्यालय से विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर के नाम अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर पहुंचा जहां पर एतराज होने से पुनः उसके द्वारा जब्तशुदा आर्टिकल्स मालखाना इंचार्ज को दिये। दिनांक 09.05.2019 को पुनः मालखाना से उक्त आर्टिकल्स सीलचिट अवस्था में प्राप्त कर एसपी कार्यालय राजसमन्द से अग्रेषण पत्र तैयार कर विधि विज्ञान प्रयोगशला में जमा कर रसीद लाकर इंचार्ज मालखाना को सुपुर्द की। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-15 है तथा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-16 है। प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-17 है। रोजनामचा रपट प्रदर्श पी-23 है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 है जिसके अनुसार पुलिस अधीक्षक राजसमन्द के अग्रेषण पत्र क्रमांक 9708-09 दिनांकित 09.05.2019 द्वारा प्रकरण संख्या 115/2019 अंतर्गत धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना नाथद्वारा जिला राजसमन्द के नमूना सैम्पल मार्क-अ सीलचिट अवस्था में राजेन्द्र कुमार कांनि. के द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जमा करवाये गये। नमूना सैम्पल मार्क-अ का मिलान फर्द स्पेशीमैन सील से किया गया तो सीलें सुरक्षित थी। माईक्रो केमिकल परीक्षण के अनुसार नमूना सैम्पल पैकेट मार्क-अ में "to contain chief constituents of coagulated juice of opium poppy having 6.42% (six point four two percent) morphine.'' पाया गया।

50. उक्त रिपोर्ट से यह तथ्य स्थापित होता है कि अभियुक्त प्रहलाद से उसकी कब्जा शुदा मोटरसाइकिल नंबर आर.जे.27 एस.वाई. 4825 की टंकी के उपर रैग्जीन की जेब में से बरामद मादक पदार्थ अवैध अफीम की श्रेणी में आता है।

51. इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने फर्द जप्ती अवैध मादक पदार्थ अफीम प्रदर्श पी-5, फर्द जप्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी-7, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी-6, फर्द सुपुर्दगी जप्तशुदा अवैध आर्टिकल प्रदर्श पी-10, मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी-26 ए, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-15 व प्रदर्श पी-16, एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-17, एफएसएल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-18, जप्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार, मालखाना इंचार्ज पी.ड.13 अमरसिंह व एफएसएल कैरियर साक्षी पी.ड.12 राजेन्द्र कुमार की साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे साबित होता है कि जप्ती कार्यवाही के पश्चात् समस्त जप्तशुदा माल जप्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार ने जप्तशुदा माल सीलचिट बंद अवस्था में मालखाना प्रभारी पी.ड.13 अमरसिंह को संभला दिया था तथा पी.ड.13 अमरसिंह मालखाना इंचार्ज ने प्रकरण के नमूना सैम्पल पैकेट मार्क-अ को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराने हेतु कांनि. पी.ड.12 राजेन्द्र कुमार को संभला दिया जिसने नमूना सैम्पल को सीलचिट अवस्था में प्राप्त कर एसपी कार्यालय राजसमन्द से अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-16 तैयार करवाकर नमूना सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-19 लाकर सुपुर्द की। इन साक्षियों की साक्ष्य से साबित होता है कि जप्ती कार्यवाही के दौरान नमूना सैम्पल लेने से लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराने तक उससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। गवाह पी.ड.13 अमरसिंह व पी.ड.12 राजेन्द्र कुमार की साक्ष्य का बारीकी से विश्लेषण करने पर किसी प्रकार का कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है, जिससे इनकी साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सकें।

52. न्यायिक दृष्टान्त **पंजाब राज्य बनाम लखविन्द्रसिंह, 2010(4) एस.सी.सी. पेज 402** एवं **हरदीपसिंह बनाम पंजाब राज्य, 2008(8) एस.सी.सी. पेज 577** में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त के अनुसार नमूना परीक्षण के समय रासायनिक परीक्षक द्वारा नमूने की सील अटूट अवस्था में पायी गई, नमूना सैम्पल सुरक्षित था, साथ ही 40 दिन देरी से सैम्पल प्रयोगशाला में भेजे जाने को अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं माना गया - बचाव पक्ष द्वारा बताई गई विसंगतियां गंभीर नहीं होकर मामूली है - बचाव पक्ष का यह तर्क अस्वीकार किया जाता है कि जप्ती की कार्यवाही के पश्चात् नमूना सैम्पल मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किये जाने तथा एफएसएल में जमा कराये जाने तक उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है।

53. बचाव पक्ष का तर्क है कि बरामदशुदा अफीम की इनवेन्ट्री कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा सैम्पल नहीं लिये गये और न ही उन सैम्पलों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया। इनवेन्ट्री की कार्यवाही के दौरान वजन में अंतर आया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध अफीम की बरामदगी साबित नहीं है। विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में धारा 52ए अधिनियम के प्रावधान की पालना की है। बरामद मालखाना अफीम के संबंध में इनवेन्ट्री प्रदर्श पी-34 को साबित किया गया है। जप्तशुदा माल अफीम के फोटोग्राफस् न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। अभियुक्त के विरूद्ध अफीम की बरामदगी इनवेन्ट्री रिपोर्ट तथा फोटोग्राफस् द्वारा साबित की गई है। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में धारा 52ए अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। इनवेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी-34 मय फोटोग्राफस् है। जप्तशुदा माल की इनवेन्ट्री करवाये जाने व इनवेन्ट्री रिपोर्ट मय फोटोग्राफस् प्रदर्श पी-34 को गवाह पी.ड.14 लेखपाल शर्मा ने प्रमाणित किया है। मजिस्ट्रेट के द्वारा इनवेन्ट्री के दौरान फोटोग्राफी करवाई गई है जो इनवेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी-34 के साथ प्रदर्श पी-29 से प्रदर्श पी-33 के रूप में संलग्न है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का उक्त तर्क चलने योग्य नहीं है।

54. अधिवक्ता अभियुक्त ने यह भी तर्क दिया कि माल को जप्त करने व सील बंद करने से पूर्व वास्ते एफएसएल कार्यवाही हेतु नमूना सैम्पल और कन्ट्रोल सैम्पल लिये जा चुके थे जबकि एफएसएल हेतु भेजा जाने वाला नमूना सैम्पल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिया जाना अनिवार्य है, अतः सम्पूर्ण बरामदगी दूषित है। इस कारण अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है।

55. विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने दौराने बहस उक्त तर्क का विरोध किया तथा यह कथन किया कि प्रकरण में सैम्पल नियमानुसार लिये गये हैं।

56. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं उपरोक्त रूप से किये गये विवेचन के अनुसार अफीम की बरामदगी मुखबिर की सूचना के अनुसरण में नहीं हुई है बल्कि आकस्मिक नाकाबंदी तथा चांस/एक्सीडेंटल रिकवरी द्वारा की गई है, इस कारण प्रकरण में धारा 42(2) अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त जप्ती अधिकारी पी.ड.जितेन्द्र कुमार ने अपनी साक्ष्य से मौके पर ही एफएसएल कार्यवाही हेतु नमूना सैम्पल और कन्ट्रोल सैम्पल लेने के तथ्य को प्रमाणित किया है तथा जप्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार के कथनों की ताईद पुलिस जाप्ता के सदस्य व चश्मदीद साक्षी पी.ड.3 इन्द्रचन्द्र, पी.ड.4 रविन्द्र

सिंह, पी.ड.6 अशोक कुमार, पी.ड.7 नरेन्द्र कुमार व पी.ड.8 देवेन्द्र सिंह ने भी की है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रकट होता है कि आकस्मिक नाकाबंदी के दौरान उक्त मोटरसाइकिल संख्या आर.जे.27 एस.वाई. 4825 पर एक व्यक्ति का बिना हैलमेट के आना जो मौके पर पुलिस जाप्ता को देखकर टर्न कर भागने लगा जिस पर पुलिस जाप्ता द्वारा पीछा कर उक्त व्यक्ति व मोटरसाईकिल को डिटेन करना जिसे शंका होने पर उसका नाम पता पूछना और उसकी मोटरसाईकिल की तलाशी के दौरान उपरोक्त मादक पदार्थ की बरामदगी हुई है। हस्तगत प्रकरण में अफीम की बरामदगी मुखबिर की सूचना के अनुसरण में नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह तर्क कि माल को जप्त करने व सील बंद करने से पूर्व वास्ते एफएसएल कार्यवाही हेतु नमूना सैम्पल और कन्ट्रोल सैम्पल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिया जाना अनिवार्य है, हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर चलने योग्य नहीं है।

57. पक्षकारान की बहस से संबंधित पत्रावली का अवलोकन कर नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (जप्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022 का अवलोकन किया गया।

58. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (जप्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 भारत का राजपत्र अधिसूचना के द्वारा 23 दिसम्बर, 2022 से लागू हुए हैं।

59. नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (जप्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 के अध्याय 3 नमूना के नियम 8 में मजिस्ट्रेट को आवेदन, नियम 9 मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूने लिये जायेंगे। उक्त नियम भारत का राजपत्र अधिसूचना के 23 दिसम्बर, 2022 से लागू हुए हैं।

60. नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (जप्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022 के अध्याय 4 विविध नियम 29 निरसन और व्यावृत्तियां:-

    (1.) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 1/88, दिनांक 15 मार्च, 1988, स्थायी आदेश संख्या 2/88, दिनांक 11 अप्रैल, 1988, स्थायी आदेश संख्या 1/89 दिनांक 13 जून, 1989, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी किया गया है और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग पप, खण्ड 3, उपखण्ड प में प्रकाशित, जिसे सा.का.नि. संख्या 38 (अ), दिनांक 16 जनवरी, 2015 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2.) इस तरह के निरसन के बावजूद, उपनियम (1) द्वारा निरस्त किये गये किसी भी स्थायी आदेश या अधिसूचना के तहत किया गया कोई भी काम या की गयी कोई कार्रवाई या की जाने वाली कथित कार्रवाई या की गयी कार्रवाई, जहां तक कि यह प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, इन नियमों के अनुरूप प्रावधानों के तहत किये गये या किये गये माने जायेंगे।

61. इस प्रकार जप्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार के द्वारा प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही के समय मादक पदार्थों के नमूना सैम्पल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 1/88, दिनांक 15 मार्च, 1988, स्थायी आदेश संख्या 2/88, दिनांक 11 अप्रैल, 1988, स्थायी आदेश संख्या 1/89 दिनांक 13 जून, 1989, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी स्थायी आदेशानुसार ही मादक पदार्थों के सैम्पल लिये गये थे।

62. नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (जप्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022 में दिनांक 23.12.2022 से लागू हुए हैं। जिसके नियम 8 और 9 में नमूना सैम्पल मजिस्ट्रेट को आवेदन कर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिये जायेंगे के बारे में बताया गया है। उक्त संशोधित नियम उन मामलों पर पूर्वव्यापी (Retrospective) रूप से लागू नहीं किये जा सकते जो संशोधित नियमों के लागू होने की तारीख से पहले शुरू किये गये थे। नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (जप्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022 के नियम 29 निरसन और व्यावृत्तियां (2.) इस तरह के निरसन के बावजूद, उपनियम (1) द्वारा निरस्त किये गये किसी भी स्थायी आदेश या अधिसूचना के तहत किया गया कोई भी काम या की गयी कोई कार्यवाही या की जाने वाली कथित कार्यवाही या की गयी कार्यवाही, जहां तक कि यह प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, इन नियमों के अनुरूप प्रावधानों के तहत किये गये या किये गये माने जायेंगे। जिससे हस्तगत प्रकरण में पी.ड.01 जितेन्द्र कुमार जप्ती अधिकारी के द्वारा जप्ती के दौरान मौके पर जो नमूना सैम्पल लिये गये, वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 1/88, दिनांक 15 मार्च, 1988, स्थायी आदेश संख्या 2/88, दिनांक 11 अप्रैल, 1988, स्थायी आदेश संख्या 1/89 दिनांक 13 जून, 1989, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी स्थायी आदेशानुसार ही मादक पदार्थों के सैम्पल लिये गये थे जो नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (जप्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022 के नियम 29 निरसन और व्यावृत्तियां (2.) में उपबंधित अनुसार स्थायी आदेशों में विहित प्रक्रिया की पालना में ही सैम्पल लिया जाना प्रकट हुआ।

63. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि पुलिस जाप्ते के मौके के गवाहान की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है, वे हितबद्ध साक्षी है और उनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध किया। हमने उक्त तर्कों पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गवाह पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार जप्ती अधिकारी के कथनों की पुष्टि पुलिस जाप्ते के सदस्य पी.ड.4 रविन्द्र सिंह, पी.ड.3 इन्द्रचन्द्र, पी.ड.6 अशोक कुमार, पी.ड.8 देवेन्द्रसिंह व पी.ड.7 नरेन्द्र कुमार से भी होती है। पुलिस जाप्ते के सदस्यों की साक्ष्य में किसी भी प्रकार का गंभीर विरोधाभास नहीं है, उनकी साक्ष्य में मामूली विरोधाभास है जो स्वाभाविक है, तात्विक नहीं है। इन साक्षियों ने एक दूसरे के कथनों की ताईद की है। हालांकि जप्ती का स्वतंत्र मौतबिर पी.ड.2 हरीश कुमार पक्षद्रोही घोषित हुआ है परन्तु इस गवाह के पक्षद्रोही घोषित होने से अभियोजन कथानक पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि अन्य मौतबीर पी.ड.3 इन्द्रचन्द्र कांनि. ने जप्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार व जाप्ते के गवाह पी.ड.4 रविन्द्र सिंह, पी.ड.6 अशोक कुमार, पी.ड.8 देवेन्द्रसिंह व पी.ड.7 नरेन्द्र कुमार के बयानों की पुष्टि करते हुए फर्द जप्ती अवैध मादक पदार्थ अफीम प्रदर्श पी-5 को प्रमाणित किया है। इन साक्षियों ने एक दूसरे के कथनों की ताईद की है। पुलिसकर्मियों की साक्ष्य यह कहकर नजरअंदाज/अमान्य नहीं की जा सकती है कि वे पुलिसकर्मी है। पत्रावली पर इस प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं है कि पुलिस जाप्ते के किसी भी सदस्य की अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई रंजिश हो।

64. माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **कश्मीरीलाल बनाम हरियाणा राज्य, 2013(6) एस.सी.सी. (एस.सी.) पेज 595 तथा रामस्वरूप बनाम राज्य (गर्वनमेन्ट सिटी दिल्ली) 2013 (14) एस.सी.सी. पेज 235** में विधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अवैध अफीम की बरामदगी पुलिसकर्मियों की साक्ष्य के आधार पर भी साबित मानी जा सकती है। साथ ही स्वतंत्र साक्षियों के पक्षद्रोही घोषित किये जाने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि विचारण दूषित हो गया हो। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि साधारणतः आम जनता साक्षी के रूप में सम्मिलित नहीं होना चाहती है तथा यदि पुलिसकर्मियों की साक्ष्य विश्वसनीय है तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। अभियोजन पक्ष द्वारा किसी गवाह को तर्क किये जाने मात्र से अभियोजन साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है बल्कि प्रकरण में सम्पूर्ण साक्ष्य महत्वपूर्ण होती है। उनका यह तर्क भी अस्वीकार किया जाता है कि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध कारित करने की स्वतंत्र व विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

65. बचाव पक्ष का यह तर्क अस्वीकार किया जाता है कि मौका घटना स्थल से अवैध अफीम की बरामदगी नहीं की गई है। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी-12 है जिसमें 'ए' स्थान पर राजसमन्द से उदयपुर जाने वाले एन.एच.8 पर अवैध मादक पदार्थ अफीम परिवहन करते हुए अभियुक्त को पकड़ा गया। प्रदर्श पी-12 को गवाह पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार जप्ती अधिकारी की निशादेही से मुर्तिब किया गया। पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि अनुसंधान अधिकारी ने बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-12 बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी-12 को गवाह पी.ड.3 इन्द्रचन्द्र, पी.ड.6 अशोक कुमार व पी.ड.8 देवेन्द्रसिंह ने भी प्रमाणित किया है। इस प्रकार बचाव पक्ष का यह तर्क भी अस्वीकार किया जाता है कि मौका घटनास्थल से दिनांक 13.03.3019 को अवैध अफीम की बरामदगी संदेहास्प्रद हो।

66. दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्त को झुठा फंसाया गया है। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है कि वह मौका घटनास्थल पर अवैध अफीम का परिवहन कर रहा था। अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावें। विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त मोटरसाइकिल संख्या आर.जे. 27 एस.वाई 4825 का पंजीकृत स्वामी था तथा बरवक्त घटना उक्त मोटरसाइकिल का स्वामी होते हुए उसकी टंकी के उपर रैग्जीन की जेब में अवैध अफीम रखकर उसका परिवहन करते हुए पकड़ा गया। मौके से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसकी उक्त मोटरसाइकिल से अवैध अफीम बरामद की गयी है। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार जप्ती अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में से यह प्रमाणित किया है कि घटना के दिन त्रिनेत्र सर्किल पर नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल संख्या आर.जे.27 एस.वाई. 4825 पर आता नजर आया जो पुलिस जाप्ता को देखकर भागने लगा इस पर शंका होने से उसने मय जाप्ता उसका पीछा कर पकड़ा व उस व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रहलाद रेबारी होना बताया। जिसकी मौके पर तलाशी ली तो उसकी जेब से नोकिया कम्पनी का मोबाईल और 150 रुपये नकद मिले। मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो टंकी के उपर लगी रेग्जीन की जेब से एक प्लास्टिक की थैली में काले रंग का द्रव्य पदार्थ भरा हुआ था जिसके बारे में पूछा तो अफीम होना बताया। रास्ते से मौतबिर को तलब किया तो हरीश कुमार ने बनने की सहमति दी व और कोई स्वतंत्र गवाह तैयार नहीं होने से कानि. इंद्रचंद को मौतबिर रखा।

मौतबिरान के समक्ष उक्त अफीम की पॉलिथिन की थैली को खोलकर देखा, सूंघा व चखा तो उसमें अफीम होना पाया जिसका मौके पर इलेक्ट्रानिक कांटे से वजन किया तो थैली सहित 90 ग्राम वजन हुआ। उक्त अफीम बाबत् प्रहलाद से किसी अनुज्ञा पत्र अथवा लाइसेंस के बारे में पुछा तो नहीं होना बताया। उक्त अफीम में से 15 ग्राम अफीम नमूना सैम्पल एफएसएल जांच हेतु एवं 15 ग्राम कन्ट्रोल सैम्पल हेतु निकाल कर प्लास्टिक की पृथक-पृथक् थैलियों में रख कर सफेद कपड़े की थैली में रख सीलचिट कर क्रमशः मार्क-अ व मार्क-ब दिया गया। शेष बची अफीम को प्लास्टिक की थैली सहित एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सीलचिट कर मार्क-स दिया गया। प्रहलाद के कब्जे से मिले मोबाईल और 150 रुपये को एक सफेद कपड़े की थैली में बंद कर सीलचिट कर मार्ग-द अंकित किया गया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी-5 के जरिये उक्त अवैध मादक पदार्थ के प्राप्त किया गया। जप्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार के उपरोक्त कथनों की पुष्टि पी.ड.3 इन्द्रचन्द्र, पी.ड.4 रविन्द्र सिंह, पी.ड.6 अशोक कुमार, पी.ड.8 देवेन्द्रसिंह व पी.ड.7 नरेन्द्र कुमार ने भी की है जिन्होंने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मौके से अभियुक्त की मोटरसाइकिल की तलाशी के दौरान टंकी के उपर लगी रेग्जीन की जेब से एक प्लास्टिक की थैली में अफीम बरामद की गयी। अभियुक्त के पास उपरोक्त मादक पदार्थ परिवहन करने बाबत् वैध कागजात लाईसेंस नहीं थे।

67. जप्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार ने अपने बयानों में इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि मौके पर जप्तशुदा मोटरसाइकिल संख्या आर.जे.27 एस.वाई. 4825 का पंजीकृत वाहन स्वामी की जानकारी प्राप्त करने बाबत् जिला परिवहन अधिकारी को पत्र प्रदर्श पी-24 दिया गया। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटरसाइकिल की डिटेल प्रदर्श पी-25 उपलब्ध करवाई जिसके अनुसार वाहन संख्या मोटरसाइकिल संख्या आरजे 27 एस.वाई. 4825 अभियुक्त प्रहलाद के नाम पर रजिस्टर्ड थी।

68. दौराने बहस बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि जब्ती अधिकारी द्वारा फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5 में पदार्थ का थैली सहित वजन 90 ग्राम अंकित किया है किन्तु थैली रहित शुद्ध वजन का अंकन नहीं किया है जिससे सम्पूर्ण जब्ती संदेहास्प्रद प्रतीत होती है। विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्क का विरोध किया। इस संबंध में पुनः पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट है कि जब्ती प्रदर्श पी-5 में जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ अफीम का थैली सहित वजन 90 ग्राम अंकित किया गया है। इस संबंध में जब्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार ने अपनी साक्ष्य में मौके पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन करना जो थैली सहित 90 ग्राम होना जिसमें से 15 ग्राम नमूना सैंपल एक प्लास्टिक की

डिब्बी में निकाल कर सफेद कपड़े की थैली में सीलचिट बंद कर मार्क-अ देना तथा 15 ग्राम कंट्रोल सैंपल एक प्लास्टिक की थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली में सीलचिट बंद कर मार्क-ब तथा शेष बची अफीम को प्लास्टिक की थैली सहित एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सीलचिट कर मार्क-स अंकित करना कहा है। पी.ड.2 इन्द्रचन्द्र ने भी अपनी साक्ष्य में जब्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार के कथनों की पुष्टि करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन करना जो थैली सहित 90 ग्राम होना कहा है। पी.ड.4 रविन्द्र सिंह ने भी अपनी साक्ष्य में अफीम का वजन करना जो प्लास्टिक की थैली सहित 90 ग्राम होना कहा है। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में प्रहलाद से मिले पदार्थ को थैली रहित वजन नहीं करना और थैली सहित वजन करना जो 90 ग्राम होना कहा है। पी.ड.6 अशोक कुमार व पी.ड.7 नरेन्द्र कुमार ने भी अपनी साक्ष्य में अफीम का वजन करना जो प्लास्टिक की थैली सहित 90 ग्राम होना कहा है। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के कथनों से मौके पर जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ अफीम का थैली सहित वजन करना जो 90 ग्राम होना स्पष्टतया कहा है तथा मौके पर थैली रहित वजन करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आयी है। इस प्रकार बचाव पक्ष का उक्त तर्क भी अस्वीकार किया जाता है।

69. दौराने बहस बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि जब्ती अधिकारी द्वारा फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5 में मार्क-अ, ब एवं स का जो वजन अंकित किया है, उक्त वजन इनवेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी-34 में वर्णित वजन से कम है और दोनों में काफी अंतर है जिससे सम्पूर्ण जब्ती संदेहास्प्रद प्रतीत होती है। विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्क का विरोध किया। इस संबंध में पुनः पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट है कि जब्ती प्रदर्श पी-5 में जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ अफीम का थैली सहित वजन 90 ग्राम अंकित किया गया है। इस संबंध में जब्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार ने अपनी साक्ष्य में मौके पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन करना जो थैली सहित 90 ग्राम होना जिसमें से 15 ग्राम नमूना सैंपल एक प्लास्टिक की डिब्बी में निकाल कर सफेद कपड़े की थैली में सीलचिट बंद कर मार्क-अ देना तथा 15 ग्राम कंट्रोल सैंपल एक प्लास्टिक की थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली में सीलचिट बंद कर मार्क-ब तथा शेष बची अफीम को प्लास्टिक की थैली सहित एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सीलचिट कर मार्क-स अंकित करना कहा है। उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन जाप्ते के अन्य साक्षीगण पी.ड.2 इन्द्रचन्द्र, पी.ड.4 रविन्द्र सिंह, पी.ड.6 अशोक कुमार व पी.ड.7 नरेन्द्र कुमार ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। इनवेन्ट्री रिपोर्ट तैयार करने वाले साक्षी पी.ड.14 लेखपाल शर्मा ने भी अपनी साक्ष्य में प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ की इनवेन्ट्री की कायर्वाही

उनके द्वारा सम्पादित करना जिसमें उनके समक्ष चार पैकेट अ, ब, स व द पेश होना जिनको एक साथ रखकर फोटोग्राफी करवाना तथा पैकेट अ, ब व स का वजन करवाना जो क्रमशः 24.97 ग्राम, 36.86 ग्राम व 89.77 ग्राम होना कहा है तथा अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया कि पैकेट अ, ब, स का थैली से निकाल शुद्ध वजन नहीं किया गया और यह भी स्वीकार किया कि पैकेट अ,ब, स व द के अंदर क्या पदार्थ था यह उनके द्वारा पैकेट खोलकर नहीं देखा गया केवल मालखाना रजिस्टर के आधार पर अंकित किया गया तथा अपनी साक्ष्य में यह भी प्रकट किया कि पैकेट-अ के संदर्भ में मालखाना रजिस्टर में एफएसएल से बाद जांच प्राप्त होने का उल्लेख था। चूंकि पी.ड.14 लेखपाल शर्मा की साक्ष्य के अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा पैकेट-अ के संदर्भ में मालखाना रजिस्टर में एफएसएल से बाद जांच प्राप्त होने का उल्लेख था तथा प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 को भी साक्ष्य के दौरान जब्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार द्वारा प्रदर्शित करवाया गया है। इस प्रकार इनवेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी-34 के अनुसार पैकेट अ, ब व स का वजन थैली सहित किया गया है और फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5 में मार्क-अ एवं मार्क-ब का 15-15 ग्राम वजन जो कि नमूना सैम्पल एवं कन्ट्रोल सैम्पल है, इलेक्ट्रॉनिक कांटे से कर बाद में कपड़े की थैली में सीलचिट किया गया है। इस कारण फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5 एवं इनवेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी-34 में वजन में अंतर आया है जो कि स्वाभाविक है।

70. उपरोक्त साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता है कि घटना की दिनांक 13.03.2009 को 5.15 पीएम पर घटनास्थल से जप्त की गई मोटरसाइकिल संख्या आरजे 27 एस.वाई. 4825 का पंजीकृत स्वामी अभियुक्त प्रहलाद ही था। जप्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार, पी.ड.3 इन्द्रचन्द्र, पी.ड.4 रविन्द्र सिंह, पी.ड.6 अशोक कुमार, पी.ड.8 देवेन्द्रसिंह व पी.ड.7 नरेन्द्र कुमार के बयानों से यह तथ्य भी संदेह से परे प्रमाणित होता है कि घटनास्थल से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त को गवाह पी.ड.3 इन्द्रयन्द्र ने प्रमाणित किया है। जप्ती अधिकारी पी.ड.1 जितेन्द्र कुमार ने अभियुक्त को मौके से ही गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। अभियुक्त ने अपने बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में घटनास्थल पर स्वयं की उपस्थिति के संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

71. इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त 2014(1) Cr.L.R. (Raj.) 2102 Nathu Lal & Anr. v State of Rajasthan, 2023 LiveLaw (SC) 570 Simarnjit Singh v State of Punjab, Cr.MP (M) No.1560/2024 State of himachal Pradesh v Mukhtyar Singh @ Banty, High Court of

Himachal Pradesh, Shimla, Date of Decision 29.11.2024, S.B. Criminal Appeal No.369/2014 Ratan Lal v State of Rajasthan, High Court of Rajasthan, Jodhpur, Date of Decision 02.05.2018, 2017(2) RJR (Raj.) 575 Ajaruddin @ Ajaru & ors v State of Rajasthan एवं 2018(1) RJR (Raj.) 885 Subhash Bishnoi v State of Rajathan में प्रतिपादित सिद्धान्तों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ परन्तु उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में वर्णित तथ्य एवं परिस्थितयां हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितयों से भिन्न है, इस कारण उक्त न्यायिक दृष्टान्तों से बचाव पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है और हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

72. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के संबंध में यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 13.03.2019 को समय लगभग 5.15 पीएम पर नाथद्वारा के क्षेत्र त्रिनेत्र चौराहा के पास अभियुक्त प्रहलाद के सचेतन कब्जे से मोटरसाइकिल नंबर आर.जे.27 एस.वाई. 4825 में परिवहन करते हुये उक्त मोटरसाइकिल की टंकी के उपर लगी रैग्जीन की जेब में से प्लास्टिक की थैली में 90 ग्राम मादक पदार्थ अफीद बरामद की गई जिसे अपने आधिपत्य में रखने या उसे परिवहन करने बाबत् अभियुक्त के पास कोई वैध लाईसेंस या दस्तावेज नहीं था। एतद्द्वारा अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 8/18 अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

73. अभियुक्त प्रहलाद पर धारा 8/25 अधिनियम, 1985 का आरोप है, इस संदर्भ में उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त प्रहलाद रेबारी मोटरसाइकिल संख्या आर.जे.27 एस.वाई. 4825 का स्वामी था तथा दिनांक 13.03.2019 को घटना के समय 5.15 पीएम पर मौके पर उक्त वाहन अभियुक्त के कब्जे व नियंत्रण में होकर वह उक्त मोटरसाइकिल की टंकी के उपर रैग्जीन की जेब में अवैध अफीम का परिवहन कर रहा था। अभियुक्त के स्वामित्व एवं कब्जेशुदा उक्त मोटरसाइकिल की टंकी के उपर रैग्जीन की जेब से प्लास्टिक की थैली में 90 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई थी जिसका उसके पास कोई लाईसेंस या अनुज्ञा पत्र नहीं था इसलिए साक्ष्य का दोहराव होने से इस संबंध में उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य का पुनः विस्तृत विवेचन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अभियोजन की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि उक्त मोटरसाइकिल संख्या आर.जे.27 एस.वाई. 4825 का प्रयोग स्वयं अभियुक्त द्वारा अवैध अफीम परिवहन हेतु मौका घटनास्थल पर किया जा रहा था। धारा 25 अधिनियम, 1985 के अनुसार जो कोई किसी मकान, कमरे, आहते, जगह, स्थान, जीव जन्तु अथवा

प्रवहण का स्वामी अथवा अधिभोगी होते हुए अथवा उसका नियंत्रण, उसका प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अन्तर्गत दण्डित करने योग्य अपराध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कमीशन के लिए प्रयुक्त करने के लिए जानबूझकर अनुमति देता है तो वह भी अपराध का दोषी है। चूंकि इस प्रकरण में वाहन मालिक स्वयं अभियुक्त द्वारा ही वक्त घटना अवैध अफीम परिवहन किया जाना सिद्ध हुआ है, किसी अन्य व्यक्ति को उपरोक्त वाहन सुपुर्द कर परिवहन करने की अनुमति नहीं दी गई है, न ही ऐसा अभियोजन का प्रकरण रहा है, इस प्रकरण में धारा 8/25 अधिनियम 1985 के उपबंध आकर्षित नहीं होते हैं। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सागरराम बनाम राजस्थान राज्य, क्रिमीनल अपील संख्या 1016/2015 निर्णय दिनांक 13.11.2017, राजस्थान राज्य बनाम बाबुलाल 2020(1) सी.जे. (क्रिमीनल) (राज.) 113 एवं राजपाल बनाम राजस्थान राज्य 2017(4) सी.जे. (क्रिमीनल) (राज.) 2190** में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में अभियुक्त प्रहलाद को अधिनियम, 1985 की धारा 25 के तहत दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है।

74. इस प्रकार अभियुक्त प्रहलाद को अपराध अन्तर्गत धारा 8/25 अधिनियम 1985 में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

75. उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त प्रहलाद को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 के तहत दोषसिद्ध किया जाना तथा धारा 8/25 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 के अपराध में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आ दे श

76. अतः अभियुक्त प्रहलाद पुत्र बक्षु दत्तक पुत्र खेमा उम्र 45 वर्ष निवासी जावड की ढाणी थाना घासा जिला उदयपुर (राज.) को धारा 8/18 स्वापक औषधि एवं मन्:प्रभावी अधिनियम, 1985 के आरोपित आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। सजा के बिन्दु पर पक्षकारान को सुनने के पश्चात् दण्डादेश पारित किया जावेगा।

तथा अभियुक्त प्रहलाद पुत्र बक्षु दत्तक पुत्र खेमा उम्र 45 वर्ष निवासी जावड की ढाणी थाना घासा जिला उदयपुर (राज.) को धारा 8/25 स्वापक औषधि एवं मन्:प्रभावी अधिनियम, 1985 के आरोप में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

**(पुरुषोत्तम लाल सैनी)**

77. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया है कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है एवं लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है इसलिये उसके प्रति नरमी का रूख अपनाया जावें।

78. विद्वान् अपर लोक अभियोजन ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुये अभियुक्त के विरूद्ध अवैध मादक पदार्थ बरामद किये जाने जैसे गम्भीर अपराध का आरोप होना कहते हुये अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

79. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं सुसंगत विधि के परिप्रेक्ष्य में विचार किया।

80. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त प्रहलाद को 90 ग्राम अफीम बरामद करने के अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 स्वापक औषधि एवं मन्:प्रभावी अधिनियम, 1985 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया गया है जिसे रखने व परिवहन करने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। बरामदशुदा अवैध अफीम की मात्रा लघु मात्रा से अधिक व वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा बरामदशुदा अवैध अफीम की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है-

**द ण्ड़ा दे श**

81. अतः अभियुक्त प्रहलाद पुत्र बक्षु दत्तक पुत्र खेमा उम्र 45 वर्ष निवासी जावड की ढाणी थाना घासा जिला उदयपुर (राज.) को धारा 8/18 स्वापक औषधि एवं मन्:प्रभावी अधिनियम, 1985 के दोषसिद्ध अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर उक्त दोषसिद्धी के फलस्वरूप अभियुक्त को धारा 8/18(ग) स्वापक औषधि एवं मन्:प्रभावी अधिनियम, 1985 के तहत 04 चार वर्ष के कठोर कारावास एवं रुपये 20,000/- अक्षरे बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को 02 दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास पृथक से भुगताया जावे।

82. अभियुक्त प्रहलाद द्वारा पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि उक्त मूल सजा में समायोजित की जावे। अभियुक्त का सजा वारण्ट नियमानुसार तैयार किया जावे।

83. इस प्रकरण में जप्तशुदा वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित कमेटी द्वारा नियमानुसार निस्तारण किया जावें व अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार निस्तारण किया जावे।

84. इस प्रकरण में वाहन मोटरसाइकिल संख्या आर.जे.27 एस.वाई.4825 को जरिये फर्द प्रदर्श पी-7 द्वारा जब्त किया गया है, जिसका उपयोग अवैध मादक पदार्थ के परिवहन हेतु किया गया। इस संबंध में अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 स्वापक औषधि एवं

मन्:प्रभावी अधिनियम, 1985 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया गया है। उक्त वाहन को अंतरिम रूप से सुपुर्दगी पर दौराने विचारण दिया गया था जो सुपुर्दगीनामा जमानतनामा निरस्त किया जाता है। धारा 63 स्वापक औषधि एवं मन्:प्रभावी अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन को जप्त सरकार किया जाता है। बाद गुजरने मियाद अपील उक्त मोटरसाइकिल को निलाम कर राशि राजकोष में जमा करवाई जावें। इस संबंध में संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।

**(पुरुषोत्तम लाल सैनी)**

85. निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(पुरुषोत्तम लाल सैनी)**